

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2004-2005



राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

v i s i o n



We aim to...

be a vibrant, innovative and major producer of meaningful Indian films of outstanding quality while providing total support services including funding as well as underwriting activities in the Film & Television industry.

m i s s i o n



We want to...

plan, promote & develop an
integrated & efficient film industry,
to be a leader in fostering excellence
in cinema and to develop a state-of-
the-art infrastructure as well as quality
products in the audio-visual and
related fields.


...and the award goes to

EASHWAR MIME CO.

theatre of cruelty



new horizons



- While striving to achieve the broad objectives of the corporation, the following new thrusts will be the highlight of its activities in the coming years.
- Production of quality feature/tele films, television programmes and animation software in collaboration with Indian and foreign partners.
- Providing high quality infrastructure facilities to the film industry.
- Facilitating export of Indian films with special emphasis on small budget film makers.
- Expanding the activity of promotion of Indian films through television and satellite channels.
- Providing appraisal services to financial institutions financing the film industry.
- Encouraging production of films in various languages.
- Popularising good cinema by participation in international film festivals, organizing Indian film weeks abroad and exhibiting the package of Indian Panorama films.
- Promotion of social security and welfare measures for needy cine artistes of yester years through Cine Artistes Welfare Fund Of India – a Trust set up by the Corporation.
- Promoting India as a marketing hub for the entertainment industry, and acting as a facilitator for production of foreign films in India.

विषय सूची**CONTENTS****Page No.**

निदेशक मंडल	3	Board of Directors
सूचना	4	Notice
निदेशकों की रिपोर्ट	6	Directors' Report
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	28	Auditors' Report
तुलन पत्र	36	Balance Sheet
लाभ व हानि लेखा	37	Profit & Loss Account
अनुसूचियाँ	39	Schedules
लेखों पर टिप्पणियाँ	50	Notes to Accounts
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	74	Comments of the Comptroller & Auditor General of India

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

30वीं वार्षिक रिपोर्ट 2004-05



National Film Development Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

30th ANNUAL REPORT 2004-05

पंजीकृत कार्यालय : डिस्कवरी ऑफ इंडिया (6वीं मंजिल),
नेहरू सेंटर, डॉ. अनी बेसंट रोड,
वरली, मुंबई - 400 018.

क्षेत्रीय कार्यालय : **चेन्नई**
नं. 3, भवानी मेशन, चौथी गली,
नुंगमबक्कम हाई रोड,
चेन्नई - 600 034.

कोलकाता
शान्ति निकेतन, तीसरा और छटा तल,
8 कामॉक स्ट्रीट, पो. बो. नं. 16043,
कोलकाता - 700 017.

नई दिल्ली
प्लाज़ा थियेटर बिल्डिंग, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली - 110 001.

शाखा कार्यालय : **तिरुवनन्तपुरम्**
द्वारा - के.एस.एफ.डी.सी. लिमिटेड,
चलचित्र कलाभवन,
तिरुवनन्तपुरम् - 695 014.

बैंगलोर
नंबर 2, जनक रेजिडेन्सी, बेसमेंट,
कुमार कृपा रोड, बैंगलोर - 560 001.

सिकन्दराबाद
डी. नं. 7-2-629, कमरा नं. 2, प्रथम तल,
घासमंडी, आर.पी. रोड,
सिकन्दराबाद - 500 003.

गुवाहाटी
लहकर हाऊस, पहला माला,
ओल्ड पोस्ट ऑफिस लेने,
रहाबाडी, गुवाहाटी - 781 008.

विशेष परियोजनाएँ : **एन.एफ.डी.सी. फिल्म सेन्टर**
आर.आई.सी. इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
बेहला, कलकत्ता - 700 060.

एन.एफ.डी.सी. फिल्म सबटाइटलिंग
342, ए टू ब्रेड इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,
गणपतराव कदम मार्ग,
लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013.

एन.एफ.डी.सी. वीडियो सेन्टर
नं. 3, भवानी मेशन, चौथी गली,
नुंगमबक्कम हाई रोड,
चेन्नई - 600 034.

बैंक : इंडियन बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक
स्टेट बैंक ऑफ त्रावेन्कोर

लेखा परीक्षक : मेसर्स यार्डी प्रभू एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
2 समाधान, आगरकर चौक,
रेलवे स्टेशन के सामने,
अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई - 400 069.

Registered Office : Discovery of India (6th Floor),
Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai - 400 018.

Regional Offices : **CHENNAI**
No. 3, Bhavani Mansion, 4th Street,
Nungambakkam High Road,
Chennai - 600 034.

KOLKATA
Shanti Niketan, 3rd & 6th Floor,
8 Camac Street, P.B. No. 16043,
Kolkata - 700 017.

NEW DELHI
Plaza Theatre Building,
Connaught Circus, New Delhi - 110 001.

Branch Offices : **THIRUVANANTHAPURAM**
C/o. KSFDCL Limited,
Chalachitra Kalabhavan,
Thiruvananthapuram - 695 014.

BANGALORE
No. 2, Janak Residency, Basement,
Kumar Kripa Road, Bangalore - 560 001.

SECUNDERABAD
D. No. 7-2-629, Room No. 2,
1st Floor, Gasmandi, R.P. Road,
Secunderabad - 500 003.

GUWAHATI
Lakhar House, 1st Floor,
Old Post Office Lane, Rahabari,
Guwahati - 781 008.

Special Projects : **NFDC FILM CENTRE**
RIC Industrial Estate, Behala,
Kolkata - 700 060.

NFDC FILM SUBTITLING UNIT
342, A to Z Industrial Estate,
Ganapatrao Kadam Marg,
Lower Parel (W), Mumbai - 400 013.

NFDC VIDEO CENTRE
No. 3, Bhavani Mansion, 4th Street,
Nungambakkam High Road,
Chennai - 600 034.

Bankers : INDIAN BANK
PUNJAB NATIONAL BANK
STATE BANK OF INDIA
H.D.F.C. BANK
STATE BANK OF TRAVANCORE

Auditors : M/s. Yardi Prabhu & Associates
Chartered Accountants
2, Samadhan, Agarkar Chowk,
Opp. Rly. Station, Andheri (E),
Mumbai - 400 069.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री मनमोहन शेट्टी
अध्यक्ष
Shri Manmohan Shetty
Chairman



श्री डी. मुखोपाध्याय
प्रबंध निदेशक
Shri D. Mukhopadhyay
Managing Director



श्री पी. सत्यनारायण
निदेशक (वित्त)
(17 नवम्बर, 2004 से)
Shri P. Sathyanarayan
Director (Finance)
(From 17th November, 2004)



श्री अफजल अमानुल्लाह
संयुक्त सचिव (फिल्म्स)
(25 जून, 2004 से)
Shri Afzal Amanullah
Joint Secretary (Films)
(From 25th June, 2004)



श्री रुपिंदर सिंह सूरी
निदेशक
(2 जुलाई, 2005 तक)
Shri Rupinder Singh Suri
Director
(Upto 2nd July, 2005)



श्री सी.ए. बोध
निदेशक (वित्त)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
(22 मार्च, 2004 से)
Shri C. A. Bodh
Director (Finance)
Information & Broadcasting Ministry
(From 22nd March, 2004)



श्री पहलाज निहलानी
निदेशक
(27 अगस्त, 2005 तक)
Shri Pahlaj Nihalani
Director
(Upto 27th August, 2005)



श्री जॉन मैथ्यू मत्थन
निदेशक
(2 जुलाई, 2005 तक)
Shri John Mathew Matthan
Director
(Upto 2nd July, 2005)

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 30वीं सर्वसाधारण सभा बुधवार दिनांक 28 सितंबर, 2005 को अपराहन 3.30 बजे एनएफडीसी के निदेशक मंडल कक्ष, 7वीं मंजिल डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वरली, मुंबई 400 018 में निम्नलिखित विषयों के संपादनार्थ होगी।

सामान्य विषय

1. 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट तथा निगम के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों एवं उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

“संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च, 2005 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त किये उन पर विचार किया गया तथा पारित की गई।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.**

(आर. हरीश)

उप प्रबन्धक (सा. एवं वि.)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 6 सितम्बर, 2005

टिप्पणी :

1. सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिये परोक्षी की नियुक्ति कर सकते हैं। परोक्षी कंपनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं।

सेवामें,

सभी अंशधारीगण, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

NOTICE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the National Film Development Corporation Limited will be held on Wednesday, the 28th September, 2005 at 3.30 p.m. in the Board Room of NFDC, 7th Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the business mentioned herein below:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read, consider and adopt the Director's Report and Audited Annual Accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2005 and Auditors' Report and the comments of Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modifications the following Resolution as an Ordinary Resolution.

“RESOLVED that the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2005 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2005 together with the Directors' Report and the Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted.”

By Order of the Board
for National Film Development Corporation Ltd.

(R. HARISH)
Deputy Manager (S&L)

Place : Mumbai
Date : 6th September, 2005

Note:

1. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

To,
All Shareholders of NFDC

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवामें,
अंशधारीगण
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

निगम के निष्पादन में रिपोर्टाधीन वर्ष में गतवर्ष की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ। वर्ष के दौरान निगम ने गत वर्ष के 9.25 करोड़ रुपये की तुलना में 3.87 करोड़ रुपये की हानि दर्शायी है जो कि टीवी मार्केटिंग के बकायादारों में संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करने की वजह से हुआ है। देश में बेहतर सिनेमा को बढ़ावा देने तथा विदेशों में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में निगम की प्रतिबद्धता प्रभावी रही। निगम ने विपणन प्रयासों में सुधार के विभिन्न उपाय शुरू करके तथा लागत में कमी करने जैसे स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन, प्रशासनिक व्ययों में कमी करने आदि तरीके अपनाकर निष्पादन में सुधार लाने की कोशिश की है।

बेहतर कोशिशों और विभिन्न निजी टीवी चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, निगम एक स्व-निर्भर विकासात्मक एजेन्सी के रूप में अपनी यात्रा जारी रखने के सम्पूर्ण प्रयास कर रहा है।

निदेशक मंडल की ओर से हम 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लेखों सहित 30वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं।

वित्तीय परिणाम

लाभ-हानि खातों से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004-2005 का वित्तीय निष्पादन गत वर्ष के 9.25 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि के सामने 3.87 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि दर्शा रहा है। पूर्व वर्ष के समंजनों के बाद गत वर्ष के 8.31 करोड़ रुपये के सामने 5.12 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई है।

लाभांश

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम की हानि को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की संस्तुति नहीं कर सके हैं।

इस वर्ष का विनियोग विवरण पिछले वर्ष के मुकाबले इस प्रकार है।

	(राशि लाखों में)	
	2004-2005	2003-2004
कर पूर्व (हानि)	(387)	(925)
जोड़ (घटाना) पूर्व वर्ष समंजन	(188)	(88)
जोड़ (घटाना) अधिक प्रावधान वापस	20	182
आय कर	43	—
शुद्ध (हानि)	(512)	(831)
घटाना: लाभ आगे लाया गया	(575)	117
घटाना: सामान्य संचय से अंतरित	—	139
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष	(1087)	(575)

निगम के पाँच वर्षों के कार्य निष्पादन की वित्तीय विशेषताओं की एक झलक परिशिष्ट 'क' में दर्शायी गयी है।

अन्य विशिष्टताएं

फिल्म वित्त पोषण एवं निर्माण

निगम ने भारत में बेहतर सिनेमा को बढ़ावा देने के अपने प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप फिल्म निर्माण और वित्त पोषण की गतिविधियाँ इस वर्ष भी जारी रखीं।

DIRECTORS REPORT

To,
The Shareholders of
National Film Development Corporation Ltd.

The performance of the Corporation under report has shown improvement compared to the previous year. The Corporation had incurred a net loss of Rs. 3.87 Crores during the year compared to the loss of Rs. 9.25 Crores during previous year, mainly due to the provisioning for doubtful debts of TV Marketing receivables. The Corporation's commitment to promote good cinema in India and acting as a facilitator for promoting Indian Cinema Overseas has been effective. The Corporation has initiated several measures to improve the performance by improving the marketing efforts and introducing cost cutting measures like, implementing Voluntary Retirement Scheme, reduction of administrative costs etc.

In spite of best efforts and the stiff competition faced by various private TV channels, the Corporation is making all out efforts to continue its journey as a self reliant promotional agency.

On behalf of the Board of Directors, we would like to present the 30th Annual Report of NFDC together with the accounts for the year ended 31st March, 2005.

FINANCIAL RESULTS

As can be seen from the Profit and Loss Account, the financial performance for the year 2004-2005 resulted in a net loss of Rs. 3.87 Crores, as against the net loss of Rs. 9.25 Crores posted in the previous year. After prior year adjustments the net loss is arrived at Rs. 5.12 Crores against net loss of Rs. 8.31 Crores of the previous year.

DIVIDEND

In view of the loss incurred by the Corporation during the year under report, the Directors are unable to recommend any dividend for the year ended 31st March, 2005.

The details of appropriation for the year vis-à-vis the previous year are as under:

	(Rs. in Lakhs)	
	2004-2005	2003-2004
(Loss) Before Tax	(387)	(925)
Add/(Less): Prior year adjustments	(188)	(88)
Add/(Less): Excess provision Written back	20	182
Income Tax	43	—
Net (Loss)	(512)	(831)
Less : Profit brought forward	(575)	117
Less : Transfer from General Reserve	—	139
Balance carried to Balance Sheet	(1087)	(575)

The Financial Performance Highlights of the Company during the last five years are given in "Annexure A".

OTHER HIGHLIGHTS

FILM FINANCING & PRODUCTION

In accordance with its main objective of promoting good cinema in India, the Corporation continued with its film production and financing activities.

निदेशकों की रिपोर्ट (क्रमशः)

वर्ष 2004-2005 के दौरान निगम ने विभिन्न भाषाओं की दो फिल्मों का निर्माण पूरा किया तथा अन्य दो फिल्मों निर्माणाधीन थी जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

पूर्ण की गई फिल्में

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. आनन्द (तेलुगु) | शेखर कमला |
| 2. ईश्वर माइम कं. (हिन्दी) | श्यामानन्द जालान |

निर्माणाधीन फिल्में

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. संस्कार (बंगाली) | नब्येन्दु चटर्जी |
| 2. तेनारा (बंगाली) | जॉयदीप घोष |

निगम ने फिल्म निर्माण के लिए अपनी प्रमुख गतिविधियों को सशक्त बनाने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान

निगम ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों एक भाग के रूप में प्रतिभाशाली निर्देशकों तथा तकनीशियनों को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है जिनमें से कुछ ने अपने चुने हुए क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया और बाद के वर्षों में अपनी पहचान बनायी। रिपोर्टाधीन वर्ष में निगम की एक मलयालम फिल्म कलाकार नेदुमुणीवेणु, कुन्जि कुट्टन उन्नि तथा वेणु निर्देशित 'परिणाम' को आशुतोष अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इजराइल में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

फिल्म समारोहों में प्रतिभागिता के जरिये भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता

रिपोर्टाधीन वर्ष में गत वर्षों की भाँति निगम ने विश्वभर में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया और विभिन्न भाषाओं की लगभग 17 फिल्मों दिखाई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा न केवल अपनी फिल्मों की बल्कि अन्य फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है। निगम भारतीय फिल्मों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और भारतीय फिल्मों के बारे में विदेशी एजेंसियों के साथ भी समन्वय कार्य करता है।

निगम ने 14 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 17 फिल्मों प्रदर्शित करके प्रतिभागिता की। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में निगम द्वारा अन्य फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभायी जाती है और संयुक्त रूप से स्टाल लगाये जाते हैं तथा समारोह प्राधिकारियों और भारतीय निर्माताओं के बीच समन्वय कार्य किया जाता है।

फिल्मों का वितरण (टेलीविजन तथा अन्य माध्यमों के जरिये)

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में दर्शक बड़े पर्दे की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर आकर्षित होने लगे हैं, निगम टीवी के लोकप्रिय माध्यम पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। निगम को अन्य चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए महसूस हुआ कि दूरदर्शन के साथ व्यावसायिक शर्तें लाभप्रद नहीं हैं और इसलिए यह गतिविधि काफी धीमी हो गई तथापि निगम द्वारा दूरदर्शन के कुछ चैनलों को फिल्म सॉफ्टवेयर की आपूर्ति जारी है।

(ख) **टीवी मार्केटिंग:** पिछले दस वर्षों के दौरान टेलीविजन मार्केटिंग निगम की एक बड़ी आय अर्जित करने वाली गतिविधि रही है तथापि दूसरे चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के सामने दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के टेलिकास्ट पर फ्री कमर्शियल टाइम की मार्केटिंग के लिए दी गई शर्तें गैर लाभकारी रही। इस वजह से यह गतिविधि धीमी पड़ गई और उसका प्रभाव निगम के कम हुए टर्नओवर पर परिलक्षित हुआ।

निर्यात

निगम की वर्ष 2004-2005 के दौरान आय 133.21 लाख रुपये की रही। निगम द्वारा विकासात्मक गतिविधि के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में नियमित रूप से अपने प्रतिनिधि तथा फिल्मों भेजकर प्रतिभागिता की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप निगम भारतीय फिल्म निर्माताओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा संभार तंत्र सम्बन्धी सहयोग प्रदान करता है। मई 2005 में सम्पन्न कान्स फिल्म समारोह के दौरान सीआईआई के एक्जिबिशन स्टॉल स्थापित किए गये। फिल्म समारोहों में एनएफडीसी का नाम भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में गिना जाता है। अभी हाल के वर्षों में भारतीय फिल्में बड़े रूप में देखी जा सकती हैं। निगम ने फरवरी तथा नवम्बर 2004 में सम्पन्न अमेरिकन फिल्म मार्केट में अपने प्रतिनिधि भेजे।

DIRECTORS REPORT (Contd.)

During the year 2004-2005 the Corporation completed the production of two feature films in various languages and two others were under production as detailed below:

Films Completed:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. ANAND (Telugu) | by Shekhar Kammula |
| 2. ESHWAR MIME CO. (Hindi) | by Shyamanand Jalan |

Film Under Production:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. SANSKAR (Bengali) | by Nabyendu Chatterjee |
| 2. TENARA (Bengali) | by Joydeep Ghosh |

The Corporation has approached Ministry of Information & Broadcasting for financial assistance to consolidate the core activities of the Corporation for the film production.

National/International Recognitions:

The Corporation as part of its promotional activity supports the talents of Directors and Technicians for making films, some of them made great strides in their chosen fields and made a mark in later years. During the year under report one of the NFDC film PARINAAMAM (Malayalam) starring Shri Nedumudi Venu, Kunjukuttan, etc. directed by Venu has won international award for best screen play in ASHDOD International Film Festival, Israel.

POPULARISING INDIAN FILMS THROUGH FESTIVAL PARTICIPATION:

During the year under report, as in the past the Corporation participated in various International Film Festivals across the globe showcasing around 17 Indian Films in different languages. NFDC promotes not only its own films but also promotes the films of other Indian producers. The Corporation also acts as the nodal agency to spread awareness of the Indian films and also co-ordinates with foreign agencies in providing information about Indian films.

The Corporation participated in 14 International Film Festivals showcasing 17 Indian Films. In some of the International Film Festivals the Corporation acts as a facilitator to promote films of other producers and jointly organize stalls and co-ordinates between Indian producers and the festival agencies.

DISTRIBUTION OF FILMS (Through TV and other Media)

- (a) The Corporation is shifting focus to the popular media of TV considering the major shift of viewers from big screen to the electronic media in recent years. The Corporation has found that with stiff competition coming from other channels the arrangement with Doordarshan is not found to be remunerative and therefore this activity has been on a substantially low scale. The Corporation however continue to supply film software to few channels of Doordarshan.
- (b) **TV MARKETING:** In the past ten years Television Marketing has been a major revenue generating activity of the Corporation. However, due to stiff competition from other channels the terms offered by Doordarshan for marketing its Free Commercial Time against telecast of films were found to be un-remunerative. In view of this, this activity has been scaled down, which is reflected in the lower turnover of the Corporation.

EXPORTS

The Export revenue of the Corporation during the year 2004-2005 amounted to Rs. 133.21 lakhs. The Corporation also undertakes promotional activity by regularly participating in International Film Markets by sending films and delegations. At the behest of the Ministry of I & B, the Corporation is providing infrastructural and logistic support to the film producers of India and CII in establishing exhibition stalls in CANNES Film Festival during May, 2005. In the CANNES Film Festival the name of NFDC is reckoned as the name to represent Indian Film Industry. In recent years the visibility of Indian films could be seen as broad basing. The Corporation sent delegates to American Film Market held in February and November, 2004.

निदेशकों की रिपोर्ट (क्रमशः)

तकनीकी परियोजनाएं

निगम का परियोजना विभाग निगम के आरम्भ से ही अनेकों प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हमेशा अग्रगामी रहा है। निगम की राजस्व आय में इस विभाग का अच्छा योगदान रहा है खासकर मुम्बई स्थित उपशीर्षकांकन विभाग का। भारत भर में क्षेत्रीय केन्द्रों पर स्थापित विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं ने भी निगम के विकास में योगदान दिया है।

उपशीर्षकांकन - लेजर सबटाइटलिंग एवं वीडियो सबटाइटलिंग

लेजर सबटाइटलिंग भारत में सर्वाधिक स्तरीय सुविधा उपलब्ध है। जिससे सैल्यूलाइड फिल्मों पर उपशीर्षक तैयार किए जाते हैं। इस यूनिट द्वारा फिल्मनिर्यातकों, वितरकों, सुप्रसिद्ध निर्देशकों और खासकर विदेश मन्त्रालय, दूरदर्शन, फिल्म निदेशालय और दोनों ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए फिल्मों पर उपशीर्षकांकन किया जाता है। ऑस्कर प्रवृष्टि हिन्दी फीचर फिल्म 'लगान' सहित अनेकों पुरस्कार विजेता फिल्मों पर इसी यूनिट द्वारा सबटाइटलिंग की गई।

इस यूनिट द्वारा पाजीटिव तथा इन्टरपाजीटिव सैल्यूलाइड फिल्मों पर साथ में अनेकों हिन्दी फिल्मों पर अनेकों अंग्रेजी और लैटिन भाषाओं में सबटाइटल किये गये थे। अभी हाल ही में नवीनतम सॉफ्टवेयर के आ जाने की वजह से जापानी तथा चीनी भाषाओं में लेजर सबटाइटलिंग की जा सकी। लेजर सबटाइटलिंग तकनीकी सेवाएं बहुत ही प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस यूनिट में वीडियो के सभी फॉर्मेट्स में वीडियो सबटाइटलिंग सुविधा अनेकों भाषाओं में उपलब्ध है। सम्पूर्ण स्वचालित सुविधाओं की वजह से संक्षिप्त एवं पूर्णतः सही सबटाइटलिंग की जाती है। इस यूनिट में डीवीडी/वीसीडी मास्टरिंग सुविधा वीडियो के सभी फॉर्मेट में उपलब्ध है।

अन्य तकनीकी सुविधाएं

1. सिने कैमरा 35 एमएम, एरीबीएल-III तथा एरी-III नवीनतम क्लिकर, फ्री वीडियो असिस्ट, प्री-प्रोडक्शन सुविधाएं निगम के सभी केन्द्रों में उपलब्ध है।
2. 16 एमएम फिल्म सेन्टर, कोलकाता में मेग्नेटेक मशीनों पर फिल्म डबिंग सुविधा उपलब्ध है। इस यूनिट को अभी हाल ही में 'ध्वनि' नामक स्टूडियो से प्रोन्नत किया गया है जिसमें एनएलई एडिटिंग सिस्टम के साथ मौजूदा वीडियो प्री-प्रोडक्शन। एडिटिंग सूट्स उपलब्ध है। डीवीकैम फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं। यह यूनिट सम्पूर्ण उत्तरपूर्व क्षेत्र की मांग को पूरा करती है।
3. वीडियो सेन्टर, चेन्नई, टेलिसिने ट्रांसफर, वीडियो डुप्लीकेशन मल्टीलिंग्वल सबटाइटलिंग, एविड नोन लीनियर तथा वीसीडी/डीवीडी मास्टरिंग डुप्लीकेशन सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
4. मुम्बई स्थित परियोजना विभाग में एडिटिंग तथा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वीडियो के सभी फॉर्मेट्स में नवीनतम उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस यूनिट में रिकार्डिंग के लिए एसडीआई और तत्सम्बन्धी सुविधाएं मौजूद हैं।

तकनीकी सुविधाओं का प्रस्तावित प्रोन्नति

प्रसारण के क्षेत्र में बदलते परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए निगम ने अपनी तकनीकी सुविधाओं को प्रोन्नत करने का लक्ष्य बनाया है ताकि विदेशी प्रतियोगियों के समतुल्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। तकनीकी सुविधाओं को प्रोन्नत करने का काम क्रमवार शुरू किया जाएगा। निगम ने इस उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी है।

बेहतर सिनेमा को बढ़ावा

निगम अपनी फिल्मों तथा अधिगृहीत फिल्मों के समारोह नियमित रूप से सारे देश में आयोजित करता रहता है जिनमें फिल्म सोसाइटियों, विश्व विद्यालयों, राज्यों के फिल्म विकास निगमों आदि का भी सक्रिय सहयोग रहता है। नेशनल फिल्म सर्कल सक्रिय रूप से काम कर रहा है और नेहरू सेन्टर में बेहतर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। इस गतिविधि को स्वस्थ एवं सार्थक सिनेमा के दर्शकों ने बहुत सराहा तथा प्रोत्साहित किया है।

भारतीय फिल्म कलाकार कल्याण निधि

भारतीय फिल्म कलाकार कल्याण निधि (कॉफी) भारतीय फिल्म उद्योग में एक अभूतपूर्व तथा विशाल ट्रस्ट है। इसकी स्थापना निगम द्वारा 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य बीते वर्षों के जरूरतमंद कलाकारों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। इस वक्त ट्रस्ट की कुल राशि 4.38 करोड़ रुपये तथा कुल निवेश 7.13 करोड़ रुपये (अर्जित ब्याज सहित) हो गये हैं। ट्रस्ट की ओर से अबतक 963 से ज्यादा सिने कलाकारों को पेंशन तथा अन्य तरह के लाभ देकर उनकी सहायता की गई है। इन दिनों लगभग 573 सिने कलाकार ट्रस्ट से आर्थिक सहायता पा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान सिने आर्टिस्टों को पेंशन के तौर पर 46.13 लाख रुपये वितरित किये गये।

DIRECTORS REPORT (Contd.)

TECHNICAL PROJECTS

The Project Section of the Corporation has always been a front-runner for the implementation of several key projects right from the inception of the Corporation. The section has contributed immensely to the Corporations revenue income, in particular the Subtitling Department situated at Mumbai. The various technical project at the regional centres located strategically throughout India has also contributed to the growth of the Corporation.

Subtitling — Laser Subtitling & Video Subtitling

The laser subtitling is the most State of Art automated facilities available in India providing subtitling facilities for the celluloid films. The unit undertakes the subtitling works of exporters, film distributors, well known film directors and mainly works from Ministry of External Affairs, DD, DFF and for Film Festivals both National and International. Several award winning films including the Oscar entry Hindi feature film LAGAAN was subtitled at this unit.

The unit caters to the positive and interpositive celluloid films with several Hindi feature films having been subtitled in various English and Latin Languages. Recent incorporation of the latest software has enabled the Laser subtitling in Japanese and Chinese languages. The laser subtitling technical services are priced at very competitive rates.

The unit has also Video Subtitling facilities in multi language formats for all formats of video. The complete automated facilities provide precise and accurate subtitling. The unit has also DVD/VCD mastering facilities for all formats of video.

OTHER TECHNICAL FACILITIES

1. Cine Camera 35 mm ARRI BL III and ARRI III with latest flicker free video assist pre-production facilities at all centers of the Corporation.
2. 16 mm Film Centre, Kolkata has the film dubbing facilities on Magnatech machines. The unit has been upgraded recently with the addition of “DHWANT” to include the NLE editing system along with the existing video post-production/editing suites. Dvcam formats are also available. The unit caters to the entire northeastern sector.
3. Video Centre, Chennai undertakes Telecine transfer, Video Duplication, Multilingual subtitling, Avid Non Linear and VCD/DVD mastering — duplication facilities.
4. State of Art equipments and facilities in all formats of video are available at the Mumbai Project Section for editing and post-productions. The unit is equipped with SDI and component facilities for recording.

PROPOSED UPGRADING OF TECHNICAL FACILITIES

In keeping abreast with the changing trends of broadcasting, the Corporation is aiming towards the upgrading of its facilities to provide these facilities in par with the foreign counterparts. The upgrading would be undertaken in a phased manner for the technical services. The Corporation has sought financial assistance from Ministry of Information & Broadcasting for this purpose.

PROMOTION OF GOOD CINEMA

The Corporation continues to organize festival of own and acquired films all over the country with the active participation of film societies, universities, State Film Development Corporation etc. on a regular basis. The National Film Circle continues to be active and organizes screenings of quality films at Nehru Centre evoking enthusiastic response from the discerning audience.

CINE ARTISTES WELFARE FUND OF INDIA

The Cine Artistes Welfare Fund of India (CAWFI) the biggest ever trust in the Indian Industry, set up by the Corporation in 1992 extends financial assistance to needy cine artistes of yester years. The Corpus of the Trust as on date has grown to Rs. 4.38 crores and the total investment stood at Rs. 7.13 (including interest accounted). So far more than 963 cine artistes have availed of the pensionary and other benefits from the trust. Presently about 573 cine artistes are availing financial assistance from the trust. During the year an amount of Rs. 46.13 lakhs have been disbursed as pension to cine artistes.

निदेशकों की रिपोर्ट (क्रमशः)

राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया।

निगम के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की गईं। राजभाषा, गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2004-2005 का वार्षिक कार्यक्रम को भलीभाँति कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास को हिन्दी में बेहतर काम के लिए 'आशीर्वाद पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण

सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भरती सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अनुसूचित संवर्गों के लिए सरकारी निर्देशों के अनुसार रोस्टर रखा गया है।

कर्मचारियों से सम्बन्धित मामले

निगम के कर्मचारियों तथा प्रबन्धन के बीच औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे और वर्ष के दौरान एक भी कार्य दिवस बेकार नहीं गया।

निगम की यूनित कॉन्सिल की बैठकें समय-समय पर हुईं इनमें लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा कर्मचारी कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया।

समझौता ज्ञापन

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें अपने अपेक्षित निष्पादन के मापदण्डों को परिभाषित किया गया है। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्य निष्पादन को 'अच्छा' आँका गया है।

निदेशक मंडल की बैठकें तथा निदेशालय

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की पाँच बैठकें हुईं। श्री जॉन मैथ्यू मत्थन तथा रूपेन्द्र सूरी एवं पहलाज निहलानी का वर्ष के दौरान निदेशक मंडल से कार्यकाल पूरा हुआ।

श्री पी. सत्यनारायणन ने निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला तथा 17 नवम्बर, 2004 से निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित हुए।

लेखा परीक्षण समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षण समिति की वर्ष के दौरान वित्त तथा लेखा से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें हुईं। वर्ष में लेखा परीक्षण समिति की तीन बैठकें हुईं।

ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि पर रिपोर्ट

कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 217(ए)(ई) के प्रावधानों के अनुसार जिन्हें कम्पनी नियम (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकट करना) 1988 के साथ पढ़ा जाए। ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते।

उन कर्मचारियों का विवरण जो धारा 217(2ए) के अनुरूप वेतन पाते हों

कम्पनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं था जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) जिसे कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पढ़ा जाए, द्वारा नियत सीमा से अधिक वेतन पा रहा हो।

निदेशकों का दायित्व सम्बन्धी वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि—

- (i) हिसाब-किताब का वार्षिक-लेखा तैयार करने में हिसाब-किताब के वही मापदण्ड अपनाए गये हैं जो आमतौर पर अपनाए जाते हैं और साथ में वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित आवश्यक स्पष्टीकरण भी दे दिए गये हैं।

DIRECTORS REPORT (Contd.)

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

The Official Language Act along with the Rules made there under and orders issued by the Department of Official Language and Ministry of Information and Broadcasting and Department of Public Enterprises regarding the progressive use of Hindi were implemented in the offices of the Corporation during the year.

The meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly for reviewing the progressive usage of Hindi in the offices of the Corporation and suitable steps were taken to implement the Annual Programme for the year 2004-2005 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. During the year, NFDC won “Ashirwad Award” for outstanding work in Hindi.

RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES

Government directories relating to SC/ST reservation/recruitment were followed. The roster is maintained as per the Government directives in the matter of reservation for scheduled Castes/Scheduled Tribes and other notified categories in service.

STAFF MATTERS

Relations between Management and Staff continued to be cordial and not a single man day was lost during the year.

Unit Council of the Corporation met periodically to discuss the measures relating to cost reduction, increase in productivity and staff welfare matters.

MOU

NFDC signed an MOU with the Ministry of I & B during the year under report, which defined the various parameters of its expected performance. The rating for performance during the year was “Fair”.

BOARD MEETINGS AND THE DIRECTORATE

During the year five Board Meetings were held.

S/Shri John Mathew Matthian and Rupinder Singh Suri and Shri Pehlaj Nihalani ceased to be Directors of the Board during the year.

Shri P. Sathyanarayanan joined as Director (Finance) and was also nominated as Director on the Board of Director since 17th November, 2004.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of the Board met periodically during the year for discussing various issues related to Finance and Accounts. Three Audit Committee Meetings were held during the year.

REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, ETC.

Information in accordance with the provisions of Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Director) Rules, 1988 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Corporation.

PARTICULARS OF EMPLOYEES AS RECEIVING SALARY AS PER SECTION 217 (2A)

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, it is hereby confirmed.

- (i) that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed alongwith proper explanation relating to material departures;

निदेशकों की रिपोर्ट (क्रमशः)

- (ii) निदेशकों ने हिसाब-किताब के सम्बन्ध में उन्हीं नीतियों का चुनाव करके उन्हें लागू किया है जो कम्पनी के मामलों को सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ हैं। पूरे काम काज में इन्हीं को अपनाया गया है और कम्पनी के वार्षिक वित्तीय लेखे-जोखे में अथवा हानि-लाभ के विवरण में इन्हीं को लागू किया गया है।
- (iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा किसी भी तरह की अनियमितताओं अथवा जालसाजी आदि को रोकने के लिए लेखे-जोखे का रिकार्ड इस अधिनियम की धाराओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से रखा है और उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त इन्तजाम किए हैं।
- (iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे-जोखे का विवरण संचलित संस्थान के आधार पर तैयार किया है।

लेखा परीक्षक

कम्पनी विधि मंडल ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की संस्तुति पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन मैसर्स यार्डी प्रभु एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, 2, समाधान आगरकर चौक, अन्धेरी (पूर्व) रेलवे स्टेशन के पास, मुम्बई-400 069 को वर्ष 2004-2005 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया।

आभार

निदेशक मंडल कम्पनी के भारत तथा विदेशों में स्थित अपने सम्माननीय ग्राहकों के सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी है और पूरी आशा करता है कि भविष्य में उनका ऐसा ही पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा। निदेशक मंडल अपने रिकार्ड में निगम के निदेशक मंडल से बाहर जाने वाले निदेशकों के प्रति अपनी गहरी सराहना और उनके उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान को दर्ज करता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है विशेषकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कम्पनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिए आभारी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, लेखा मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, अन्तर लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकों और कम्पनी के ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण समर्पित कार्यों के लिए गहरी कृतज्ञता दर्ज करना चाहता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिए उनके द्वारा दिया गया सहयोग बहुमूल्य था।

निदेशक मंडल की ओर से

मनमोहन शेट्टी
अध्यक्ष

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 26 अगस्त, 2005

DIRECTORS REPORT (Contd.)

- (ii) that the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period.
- (iii) that the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) that the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

AUDITORS

The Company Law Board on the recommendation of the Comptroller and Auditor General of India, re-appointed M/s. Yardi Prabhu & Associates, Chartered Accountants, 2, Samadhan, Agarkar Chowk, Andheri (East), Near Railway Station, Mumbai - 400 069, as Auditors of the Corporation for the year 2004-2005 under Section 619(2) of the Companies Act, 1956.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board thanks the Company's valued customers in India and abroad for their support and confidence in the organization and look forward to the continuance of this mutually supportive relationship in the future. The Board places on record its deep appreciation and noted valuable contributions by the out going Directors of the Corporation. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting in Company's operations and developmental plans. The Directors also express their grateful thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Chairman and members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers and patrons and customers of the Company.

The Board wishes to record its deep gratitude to all members of the NFDC family for their enthusiastic and dedicated work. The co-operation extended by them to the Management was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors,

Manmohan Shetty
Chairman

Place : Mumbai

Date : 26th August, 2005

पिछले पाँच वर्षों के दौरान निगम के कार्य निष्पादन की विशिष्टताएँ

अनुलग्नक “क”

(रुपये लाख में)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
पूँजी संरचना					
प्राधिकृत पूँजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
दत्त पूँजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
वित्तीय विशिष्टताएँ					
सकल प्राप्तियाँ	6,875.36	8,545.52	7,779.54	3,690.65	2,209.28
खर्च	6,538.61	7,980.82	8,442.77	4,616.14	2,596.02
कर पूर्व लाभ/(हानि)	336.75	564.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	319.66	409.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)
विदेशी मुद्रा में आय	274.26	119.81	93.36	69.00	100.03
संचालनगत विशिष्टताएँ					
फिल्म निर्माण और फिल्म उपकरणों की खरीद के लिए संवितरित ऋण	—	7.39	15.75	11.86	—
स्व-निर्मित/सहनिर्माण फिल्मों में विनियोजन	127.89	250.52	277.75	186.73	13.87
प्रेक्षागृह निर्माण के लिए संवितरित ऋण	—	—	—	—	—
आय					
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	5,701.97	7,355.78	6,388.96	2,578.19	1,408.56
फिल्म सॉफ्टवेयर का निर्माण	250.10	252.17	172.34	141.51	133.21
विदेशी फिल्म वितरण	126.54	249.66	469.87	61.50	28.67
विशेष परियोजनाएँ	607.32	442.50	406.26	518.02	297.49

HIGHLIGHTS OF THE PERFORMANCE OF THE CORPORATION DURING THE LAST FIVE YEARS

ANNEXURE “A”

(Rs. in lakhs)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
CAPITAL STRUCTURE					
Authorised Capital	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Paid-up Capital	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
FINANCIAL HIGHLIGHTS					
Turnover	6,875.36	8,545.52	7,779.54	3,690.65	2,209.28
Expenditure	6,538.61	7,980.82	8,442.77	4,616.14	2,596.02
Profit/(Loss) Before Tax	336.75	564.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)
Profit/(Loss) After Tax	319.66	409.70	(663.23)	(925.49)	(386.74)
Earnings in Foreign Exchange	274.26	119.81	93.36	69.00	100.03
OPERATIONAL HIGHLIGHTS					
Loan disbursed for production of film and purchase of film equipments	—	7.39	15.75	11.86	—
Investment in Own Production/Co-production	127.89	250.52	277.75	186.73	13.87
Loan disbursed for Theatre Construction	—	—	—	—	—
EARNINGS					
Distribution of Films through TV	5,701.97	7,355.78	6,388.96	2,578.19	1,408.56
Export of Film Software	250.10	252.17	172.34	141.51	133.21
Foreign Film Distribution	126.54	249.66	469.87	61.50	28.67
Special Projects	607.32	442.50	406.26	518.02	297.49

सिनेमागृह वित्त पोषण योजना के आरंभ से ऋणों की
मंजूरी - संवितरण की राज्य-वार स्थिति

अनुलग्नक “ख”

(रुपये लाख में)

अनु. क्र.	राज्य	स्वीकृत आवेदन पत्र (प्रभावी मामले)		संवितरण		पूर्ण हुए सिनेमा गृह	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	आसन क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	14	97.94	14	97.94	14	9,889
2.	असम	3	19.00	3	19.00	3	2,610
3.	बिहार	1	7.39	1	7.39	1	772
4.	गुजरात	2	15.00	2	15.00	2	1,724
5.	कर्नाटक	14	94.92	14	92.92	14	9,931
6.	केरल	9	91.85	9	91.85	9	7,657
7.	मध्य प्रदेश	22	159.79	22	159.79	22	19,315
8.	महाराष्ट्र	9	81.50	9	81.50	9	6,668
9.	मणिपुर	7	82.42	7	74.42	6	4,934
10.	उड़ीसा	8	45.80	8	45.80	8	6,756
11.	पांडिचेरी	1	7.50	1	7.50	1	971
12.	राजस्थान	3	27.50	3	27.50	3	3,647
13.	तमिलनाडू	17	108.60	17	108.60	17	12,477
14.	उत्तर प्रदेश	14	82.63	14	82.63	14	8,430
15.	पश्चिम बंगाल	7	37.37	7	37.37	7	6,911
	कुल	131	959.21	131	949.21	130	1,02,692

STATE-WISE BREAK-UP OF THEATRE LOANS SANCTIONED/DISBURSED SINCE COMMENCEMENT OF THE SCHEME

ANNEXURE "B"

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	STATE	Appl. Sanctioned (Effective cases)		Disbursement		Theatres Completed	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Seating Capacity
1.	ANDHRA PRADESH	14	97.94	14	97.94	14	9,889
2.	ASSAM	3	19.00	3	19.00	3	2,610
3.	BIHAR	1	7.39	1	7.39	1	772
4.	GUJARAT	2	15.00	2	15.00	2	1,724
5.	KARNATAKA	14	94.92	14	92.92	14	9,931
6.	KERALA	9	91.85	9	91.85	9	7,657
7.	MADHYA PRADESH	22	159.79	22	159.79	22	19,315
8.	MAHARASHTRA	9	81.50	9	81.50	9	6,668
9.	MANIPUR	7	82.42	7	74.42	6	4,934
10.	ORISSA	8	45.80	8	45.80	8	6,756
11.	PONDICHERY	1	7.50	1	7.50	1	971
12.	RAJASTHAN	3	27.50	3	27.50	3	3,647
13.	TAMIL NADU	17	108.60	17	108.60	17	12,477
14.	UTTAR PRADESH	14	82.63	14	82.63	14	8,430
15.	WEST BENGAL	7	37.37	7	37.37	7	6,911
	TOTAL	131	959.21	131	949.21	130	1,02,692

सिनेमागृह ऋणों का वर्ष-वार संवितरण तथा वसूलियों की स्थिति

अनुलग्नक “ग”

(रुपये लाख में)

वर्ष	संवितरित राशि एनएफडीसी का अंश	वसूल राशि		कुल
		मूल	व्याज	
1980-1981	9.90	0.00	0.04	0.04
1981-1982	50.21	0.54	0.23	0.77
1982-1983	80.13	4.25	5.26	9.51
1983-1984	70.86	15.11	19.61	34.72
1984-1985	79.23	20.76	24.29	45.05
1985-1986	72.30	40.33	30.42	70.75
1986-1987	52.12	42.57	26.26	68.83
1987-1988	44.57	64.97	35.12	100.09
1988-1989	61.73	68.50	37.67	106.17
1989-1990	9.89	30.21	21.27	51.48
1990-1991	29.08	62.44	25.43	87.87
1991-1992	25.07	16.97	32.47	49.44
1992-1993	20.50	22.40	16.97	39.37
1993-1994	8.50	30.29	23.57	53.86
1994-1995	30.00	21.22	18.08	39.30
1995-1996	19.00	36.74	22.89	59.63
1996-1997	50.00	20.19	29.33	49.52
1997-1998	29.50	39.98	27.41	67.39
1998-1999	11.00	37.90	12.74	50.64
1999-2000	7.00	25.53	13.10	38.63
2000-2001	0.00	11.75	10.01	21.76
2001-2002	0.00	19.16	3.30	22.46
2002-2003	0.00	13.43	5.92	19.35
2003-2004	0.00	20.39	4.45	24.84
2004-2005	0.00	12.29	0.09	12.38
कुल	760.59	677.92	445.93	1123.85

POSITION REGARDING YEARWISE DISBURSEMENT AND RECOVERY OF THEATRE LOANS

ANNEXURE “C”

(Rs. in lakhs)

Year	Amount Disbursed NFDC Share	Amount Recovered		Total
		Principal	Interest	
1980-1981	9.90	0.00	0.04	0.04
1981-1982	50.21	0.54	0.23	0.77
1982-1983	80.13	4.25	5.26	9.51
1983-1984	70.86	15.11	19.61	34.72
1984-1985	79.23	20.76	24.29	45.05
1985-1986	72.30	40.33	30.42	70.75
1986-1987	52.12	42.57	26.26	68.83
1987-1988	44.57	64.97	35.12	100.09
1988-1989	61.73	68.50	37.67	106.17
1989-1990	9.89	30.21	21.27	51.48
1990-1991	29.08	62.44	25.43	87.87
1991-1992	25.07	16.97	32.47	49.44
1992-1993	20.50	22.40	16.97	39.37
1993-1994	8.50	30.29	23.57	53.86
1994-1995	30.00	21.22	18.08	39.30
1995-1996	19.00	36.74	22.89	59.63
1996-1997	50.00	20.19	29.33	49.52
1997-1998	29.50	39.98	27.41	67.39
1998-1999	11.00	37.90	12.74	50.64
1999-2000	7.00	25.53	13.10	38.63
2000-2001	0.00	11.75	10.01	21.76
2001-2002	0.00	19.16	3.30	22.46
2002-2003	0.00	13.43	5.92	19.35
2003-2004	0.00	20.39	4.45	24.84
2004-2005	0.00	12.29	0.09	12.38
TOTAL	760.59	677.92	445.93	1123.85

बकाया फिल्म ऋणों का विवरण

अनुलग्नक “घ”

(रुपये लाख में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण	वसूल की गई राशि			अशोध्य बट्टे खाते में डाले गये मूल और ब्याज (फिल्म अधिमृहीत)	मूल बकाया रकम
			मूल	ब्याज	कुल		
1960-61 से 1979-80	381.45	319.03	132.65	34.83	167.48	76.23	—
तत्कालीन फिल्म वित्त निगम काल							
1980-81	35.83	23.84	7.46	7.26	14.72	49.14	89.61
1981-82	28.85	33.72	15.66	4.68	20.34	—	107.67
1982-83	29.72	29.30	15.91	11.46	27.37	—	121.06
1983-84	17.99	16.26	8.08	9.37	17.45	—	129.24
1984-85	53.04	21.29	16.93	10.28	27.21	5.29	130.65
1985-86	58.55	46.87	20.60	8.81	29.41	20.83	144.24
1986-87	91.95	53.33	30.60	11.80	42.40	2.75	165.73
1987-88	74.60	52.99	39.79	17.03	56.82	3.67	175.25
1988-89	76.15	28.06	27.00	11.68	38.68	—	176.31
1989-90	35.30	23.24	26.02	6.86	32.88	10.17	163.36
1990-91	110.24	71.49	36.01	8.37	44.38	0.56	198.28
1991-92	58.02	65.32	20.42	7.55	27.97	0.49	242.69
1992-93	41.75	46.93	9.43	15.22	24.65	1.34	278.85
1993-94	72.00	51.04	32.58	17.28	49.86	10.18	290.13
1994-95	28.12	26.88	50.16	17.12	67.28	67.80	224.57
1995-96	15.00	15.79	20.57	14.08	34.65	0.10	219.79
1996-97	27.80	23.70	5.57	9.70	15.27	130.44	160.40
1997-98	152.00	12.35	5.88	2.53	8.41	27.04	154.78
1998-99	40.00	46.00	12.24	6.50	18.74	—	188.53
1999-2000	20.00	22.89	12.76	1.56	14.32	—	198.66
2000-2001	—	—	—	2.69	2.69	121.91	126.06
2001-2002	10.00	7.39	22.06	4.80	26.86	3.45	111.39
2002-2003	45.00	15.75	—	16.00	16.00	—	127.14
2003-2004	—	11.86	—	—	—	—	139.00
2004-2005	—	—	—	13.35	13.35	—	139.00
राफिविनि का योग	1,121.91	746.29	435.73	235.98	671.71	455.16	
कुल योग	1,503.36	1,065.32	568.38	270.81	839.19	531.39	

STATEMENT OF FILM LOAN OUTSTANDING

ANNEXURE “D”

(Rs. in lakhs)

Year	Loan Sanctioned	Loan Disbursed	Amount Recovered			Bad debts Written off Principal & Interest (Film Taken over)	Principal Amount Outstanding
			Principal	Interest	Total		
1960-61 to 1979-80	381.45	319.03	132.65	34.83	167.48	76.23	—
Erstwhile FFC period							
1980-81	35.83	23.84	7.46	7.26	14.72	49.14	89.61
1981-82	28.85	33.72	15.66	4.68	20.34	—	107.67
1982-83	29.72	29.30	15.91	11.46	27.37	—	121.06
1983-84	17.99	16.26	8.08	9.37	17.45	—	129.24
1984-85	53.04	21.29	16.93	10.28	27.21	5.29	130.65
1985-86	58.55	46.87	20.60	8.81	29.41	20.83	144.24
1986-87	91.95	53.33	30.60	11.80	42.40	2.75	165.73
1987-88	74.60	52.99	39.79	17.03	56.82	3.67	175.25
1988-89	76.15	28.06	27.00	11.68	38.68	—	176.31
1989-90	35.30	23.24	26.02	6.86	32.88	10.17	163.36
1990-91	110.24	71.49	36.01	8.37	44.38	0.56	198.28
1991-92	58.02	65.32	20.42	7.55	27.97	0.49	242.69
1992-93	41.75	46.93	9.43	15.22	24.65	1.34	278.85
1993-94	72.00	51.04	32.58	17.28	49.86	10.18	290.13
1994-95	28.12	26.88	50.16	17.12	67.28	67.80	224.57
1995-96	15.00	15.79	20.57	14.08	34.65	0.10	219.79
1996-97	27.80	23.70	5.57	9.70	15.27	130.44	160.40
1997-98	152.00	12.35	5.88	2.53	8.41	27.04	154.78
1998-99	40.00	46.00	12.24	6.50	18.74	—	188.53
1999-2000	20.00	22.89	12.76	1.56	14.32	—	198.66
2000-2001	—	—	—	2.69	2.69	121.91	126.06
2001-2002	10.00	7.39	22.06	4.80	26.86	3.45	111.39
2002-2003	45.00	15.75	—	16.00	16.00	—	127.14
2003-2004	—	11.86	—	—	—	—	139.00
2004-2005	—	—	—	13.35	13.35	—	139.00
TOTAL OF NFDC	1,121.91	746.29	435.73	235.98	671.71	455.16	
GRAND TOTAL	1,503.36	1,065.32	568.38	270.81	839.19	531.39	

कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217(2ए)(i) के अधीन कर्मचारियों का अपेक्षित विवरण

पूरे वित्तीय वर्ष 2004-2005 में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण जिनका पारिश्रमिक वर्ष के दौरान रुपये 12,00,000 से कम नहीं था

अनुलग्नक “च”

कर्मचारी का नाम	आयु	पदनाम	कुल प्राप्ति	अर्हताएं	सेवारंभ की तारीख	अनुभव	गत सेवा संस्था
-----------------	-----	-------	--------------	----------	------------------	-------	----------------

कुछ नहीं

कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217(2ए)(ii) के अधीन कर्मचारियों का अपेक्षित विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान एवं वर्ष 2004-2005 के भाग में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण जिनका पारिश्रमिक वर्ष के दौरान रुपये 12,00,000 से कम नहीं था

अनुलग्नक “छ”

कर्मचारी का नाम	आयु	पदनाम	कुल प्राप्ति	अर्हताएं	सेवारंभ की तारीख	अनुभव	गत सेवा संस्था
-----------------	-----	-------	--------------	----------	------------------	-------	----------------

कुछ नहीं

पारिश्रमिक में वेतन, मकान भत्ता, भविष्य निधि में कम्पनी का हिस्सा, चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति, भुनाई गई छुट्टियों की रकम, तथा रियायत उपदान और एक्स ग्रॅशिया भुगतान-स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को अदा किया गया मुआवजा पर व्यय सम्मिलित है।

उपर्युक्त में से कोई भी कर्मचारी निगम के किसी भी निदेशक से संबंधित नहीं है।

रोजगार का तरीका नियमित है।

उपर्युक्त कर्मचारी निगम के नियमों के अधीन शासित हैं।

**PARTICULARS OF EMPLOYEES REQUIRED UNDER SECTION 217 (2A)(i)
OF THE COMPANIES ACT, 1956**

**PARTICULARS OF EMPLOYEES EMPLOYED THROUGHOUT THE FINANCIAL YEAR 2004-2005
WHO WERE IN RECEIPT OF REMUNERATION NOT LESS THAN RS. 12,00,000/- P.A.**

ANNEXURE "E"

Employees Name	Age	Designation	Total Earnings	Qualification	Dt. of Joining	Experience	Previous Employment
----------------	-----	-------------	----------------	---------------	----------------	------------	---------------------

—————NIL—————

**PARTICULARS OF EMPLOYEES REQUIRED UNDER SECTION 217 (2A)(ii)
OF THE COMPANIES ACT, 1956**

**PARTICULARS OF EMPLOYEES EMPLOYED FOR PART OF FINANCIAL YEAR 2004-2005
WHO WERE IN RECEIPT OF REMUNERATION NOT LESS THAN RS. 12,00,000/- P.A.**

ANNEXURE "F"

Employees Name	Age	Designation	Total Earnings	Qualification	Dt. of Joining	Experience	Previous Employment
----------------	-----	-------------	----------------	---------------	----------------	------------	---------------------

—————NIL—————

Remuneration includes Salary, HRA, Company's contribution to Provident Fund, Reimbursement of Medical Expenses, Leave encashment, Leave Travel concession, Gratuity payments and ex-gratia payments/compensation.

None of the above employees are related to any Director of the Company.

Nature of employments is regular.

All the above employees are governed by the rules of the company.

अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में — प्रतिभागिता 2004-05

अनुलग्नक 'ज'

क्र.सं.	फिल्म का नाम	फिल्म समारोह का नाम
1.	रघू रोमियो	47वाँ सेनफ्रेन्सिस्को अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, कैलिफोर्निया, 15 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2004
2.	रघू रोमियो	बीएफएफ-बारसीलोना एशियन फिल्म समारोह, स्पेन, 30 अप्रैल से 7 मई, 2004
3.	युगान्त	अन्तरराष्ट्रीय वर्ल्ड सिनेमा समारोह, आयसोला, स्लोवेनिया, 15 मई से 15 जून, 2004
4.	काली सलवार	5वाँ भारतीय फिल्म समारोह, ह्याग, हॉलैंड, 24 मई से 6 जून, 2004
5.	(i) फाइव बाय फोर (ii) डान्स लाइक ए मैम (iii) रघू रोमियो	7वाँ शांघाई अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, चीन, 5 से 13 जून, 2004
6.	रघू रोमियो	अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, इन्सब्रुक, ऑस्ट्रीया, 9 से 13 जून, 2004
7.	रघू रोमियो	पूशान अन्तरराष्ट्रीय फेन्टास्टिक फिल्म समारोह, साउथ कोरिया, 15 से 24 जुलाई, 2004
8.	रघू रोमियो	सॅलेन्टो फिल्म समारोह, इटली, 18 से 26 सितंबर, 2004
9.	पूथिरुवाथी राविल	3रा एडिशन मलयालम फिल्म समारोह, दुबई, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2004
10.	रघू रोमियो	11वाँ अन्तरराष्ट्रीय विमेन्स फिल्म समारोह, टोरिनो, इटली, 8 से 15 अक्टूबर, 2004
11.	रघू रोमियो	24वाँ हवाई अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, होनोलूलू, यू.एस.ए., 28 अक्टूबर से 7 नवम्बर, 2004
12.	ट्रेन टू पाकिस्तान	स्पिनींग व्हील फिल्म समारोह, टोरेन्टो, कनाडा, नवम्बर 2004
13.	रघू रोमियो	दुबई अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, 6 से 11 दिसम्बर, 2004
14.	(i) मिस बेटीस चिल्ड्रेन (ii) अमोदिनी	रिवरसाईड अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, कैलिफोर्निया, 25 फरवरी से 6 मार्च, 2005

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – PARTICIPATION 2004-2005

ANNEXURE ‘G’

Sr. No.	FILM NAME	FESTIVAL NAME
1.	Raghu Romeo	47th San Francisco International Film Festival, California, 15 to 29 April, 2004
2.	Raghu Romeo	BAFF-Barcelona Asian Film Festival, Spain, April 30 to May 7, 2004
3.	Yugant	International World Cinema Festival, Isola, Slovenia, May 15 to June 15, 2004
4.	Kali Salwar	5th Indian Film Festival, Hague, Holland, May 24 to June 6, 2004
5.	(i) Five by Four (ii) Dance Like A Man (iii) Raghu Romeo	7th Shanghai International Film Festival, China, 5 to 13 June, 2004
6.	Raghu Romeo	International Film Festival, Innsbruck, Austria, 9 to 13 June, 2004
7.	Raghu Romeo	Puchon International Fantastic Film Festival, South Korea, 15 to 24 July, 2004
8.	Raghu Romeo	Salento Film Festival, Italy, 18 to 26 Sept., 2004
9.	Poothiruvathi Ravil	3rd Edition Malayalam Film Festival, Dubai, Sept. 30 to Oct. 6, 2004
10.	Raghu Romeo	11th International Women’s Film Festival, Torino, Italy, 8 to 15 Oct., 2004
11.	Raghu Romeo	24th Hawaii International Film Festival, Honolulu, USA, Oct. 28 to Nov. 7, 2004
12.	Train to Pakistan	Spinning Wheel Film Festival, Toronto, Canada, November, 2004
13.	Raghu Romeo	Dubai International Film Festival, 6 to 11 Dec., 2004
14.	(i) Miss Beaty’s Children (ii) Amodini	Riverside International Film Festival, California, Feb. 25 to March 6, 2005

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

अंशधारीगण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि., मुंबई

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 31 मार्च, 2005 के संलग्न तुलन पत्र को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि लेखे को भी परीक्षित किया है ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबन्धन के दायित्व हैं। हमारा दायित्व इन विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है।

हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप किया है। इन मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बनाकर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है। लेखा परीक्षण में एक टेस्ट आधार पर जाँच, राशियों के समर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में खुलासा करने वाले तथ्य शामिल हैं। लेखा परीक्षण में हिसाब-किताब रखने के लिये अपनाये गये सिद्धांतों की जांच, प्रबंधन द्वारा लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों और कुल मिलाकर दिये गये आर्थिक विवरण के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन का समावेश भी होता है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा व्यक्त राय का पर्याप्त आधार मौजूद है। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. जैसा कि केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उपधारा (4) के सम्बन्ध में जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।
2. उपर्युक्त के सन्दर्भ अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :—
 - (i) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक थे।
 - (ii) हमारी राय में कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं, उचित ढंग से तैयार कर के रखे गये हैं। बही खातों की जांच से हमें यही महसूस हुआ।
 - (iii) इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलन पत्र तथा लाभ हानि के विवरण से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था।
 - (iv) हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से सम्बन्धित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते मानक लेखाओं के स्तर के हैं जिनका उल्लेख कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) में है।
 - (v) भारत सरकार के कानून, न्याय तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय के कंपनी मामलों के विभाग के परिपत्र सं. 2-5-2001 - सी एल वी दिनांक 22-3-2002 के संदर्भ में कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 274 (1) जो कि निदेशकों की अपात्रता संबंधी प्रावधान कॉर्पोरेशन पर लागू नहीं होते।
 - (vi) निम्नांकित की और ध्यान आकर्षित किया जाता है:
 - (अ) जैसा कि नोट सं. 4 में व्यक्त किया गया है कि निगम ने रु. 5,19,37,965/- के फ्री कमर्शियल टाइम का अशोद्ध एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं किया है, परिणाम स्वरूप शुद्ध हानि रु. 10,31,71,586/- (जैसा कि रिपोर्ट की गई राशि रु. 5,12,33,621/- के सामने) तथा लाभ एवं हानि खाते का डैबिट बैलैन्स रुपये 16,06,68,780/- (जैसा कि रिपोर्ट की गई राशि रु. 10,87,30,815/- के सामने) है।

AUDITOR'S REPORT

The Shareholders,
National Film Development Corporation Limited,
Mumbai.

We have audited the attached Balance Sheet of NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. as at 31st March, 2005 and also the Profit and Loss Account for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.
2. Further to our comments in the Annexure referred to above, we report that:—
 - (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - (ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation, so far as it appears from our examination of such books;
 - (iii) The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - (iv) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956;
 - (v) In terms of Circular No. 2/5/2001-CLV dated 22/03/2002 issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India, Department of Company Affairs, the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 regarding disqualification of directors do not apply to the Corporation.
 - (vi) Attention is invited to the following:
 - (a) Note No. 4 of Schedule 30 regarding non-provision of Bad and Doubtful Debts amounting Rs. 5,19,37,965/- Free Commercial Time (FCT) in the accounts, which has resulted in Net loss of Rs. 10,31,71,586/- (as against the reported figure of Rs. 5,12,33,621/-) and debit balance of Profit and Loss Account of Rs. 16,06,68,780/- (as against the reported figure of Rs. 10,87,30,815/-).

- (ब) जैसा कि नोट संख्या 5 में व्यक्त किया गया है कि विविध देनदार ऋण एवं अग्रिमों तथा चालू देयताओं की राशि पुष्टिकरण और तत्परिणाम स्वरूप समंजन, यदि कोई हों जो कि समायोजनों की वजह से हुए हों, के अधीन है। उनका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो वह अभिनिश्चयन योग्य नहीं है। आगे हम विविध देनदारों तथा सिनेमागृह एवं फिल्म ऋणों की बकाया राशियाँ जो क्रमशः रु. 4,935.16 लाख एवं रु. 285.73 लाख हैं। जोकि पंच निर्णय के अधीन हैं अथवा अभी तक वसूल नहीं की गई है, इनके वसूली योग्य होने के सम्बन्ध में हम अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
- (vii) उपर्युक्त के अधीन, अनुसूची 30 की टिप्पणी संख्या 3 में अल्लिखित करते हुए कि निगम संचित हानियों और उसके परिणाम स्वरूप शुद्ध मूल्य के तिरोभूत होते हुए तथा आय में गिरावट के बाबजूद एक गतिशील प्रतिष्ठान है। हमारी राय में अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार खाते तथा उन पर दिए गये लेखों पर टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधीन हैं और सूचनाएं उसी अनुरूप दी गई हैं जैसी की कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक होती हैं :—
- (अ) निगम के कारोबार की स्थिति का 31 मार्च, 2005 का तुलनपत्र
- (ब) उसी तारीख को समाप्त वर्ष की हानि के लाभ एवं हानि खाते
- (क) उसी तारीख के समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह का रोकड़ प्रवाह विवरण

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार

(सुधन डी. यार्डी,)

साक्षेदार
स.सं. 22887

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.08.2005

- (b) Note No. 5 of Schedule 30 regarding Sundry Debtors, Loans & Advances, Other Advances, Deposits and Current Liabilities being subject to confirmation and consequential adjustments, if any, arising out of reconciliation; the impact, if any, on the financial statements, of the same presently not ascertainable; further we are unable to express an opinion on the recoverability on Sundry Debtors' and Theater & Film Loan balances aggregating to Rs. 4,935.16 lacs and Rs. 285.73 lacs respectively as these are either under arbitration or have not been collected till date.
- (vii) Subject to above and read with note No. 3 of Schedule 30 regarding the corporation's contention that it continues to be a going concern notwithstanding the accumulated losses and consequent erosion in the net worth and drastic fall in the revenues, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounts subject to the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting principles generally accepted in India :—
- (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2005.
- (b) in the case of the Profit and Loss Account, of the Loss for the year ended on that date.
- (c) In the case of Cash Flow Statement of the cash flows for the year ended on that date.

For YARDI PRABHU & ASSOCIATES,
Chartered Accountants

(SUDHAN D. YARDI)
Partner
M. No. 22887

Place : Mumbai

Dated : 30.08.2005

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों पर लेखा परीक्षकों की तद्दिनांक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 के सन्दर्भ में)

1. (क) निगम ने स्थायी सम्पत्तियों का रिकार्ड रखा है तथापि सम्पत्तिवार ठीक-ठीक लोकेशन का विवरण, संचित मूल्यहास वर्ष के अन्त में मूल्यहासित मूल्य, पहचान, सम्पत्तियों का आवागमन उन रिकार्डों में उपलब्ध नहीं है।
 (ख) यद्यपि स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अन्त में प्रबन्धन द्वारा किया जाता है। इन सत्यापनों में माल सम्बन्धी विसंगतियों के विवरण सहित रिकार्ड के अभाव में अभिनिश्चयन नहीं किया जा सका। हमारी राय में, निगम के आकार और इसकी व्यावसायिक प्रकृति के अनुसार भौतिक सत्यापन की अवधि वार्षिक आधार पर समुचित है।
 (ग) वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों का कोई भारी निपटान नहीं किया गया जो निगम के प्रचलन को प्रभावित करेगा।
2. (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार इसकी यूनिटों में से कुछ का सम्पत्ति सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया चूँकि निगम के व्यापार के आकार की तुलना में चालू सम्पत्तियों में सम्पत्ति सूची का हिस्सा नगण्य है।
 (ख) चूँकि प्रबन्धन द्वारा कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, हमारा अभिप्राय भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में उसकी समुचितता और पर्याप्तता के बारे में अपेक्षित नहीं है।
 (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम में सम्पत्ति सूची का उचित रिकार्ड रखा जाता है।
 (घ) पेन्डिंग भौतिक सत्यापनों के सम्बन्ध में हम अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते कि भौतिक सत्यापन और किताबी रिकार्ड में क्या माल सम्बन्धी कोई विसंगति है।
3. निगम ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत आनेवाली पार्टियों को ऋण की प्रकृति के रूप में न तो कोई ऋण एवं अग्रिम दिया है और न ही उनसे लिया है। अतः ऐसे ऋणों की शर्तों के सम्बन्ध का, की वे निगम हित में है अथवा उन देय ऋणों की वसूली पुनर्भुगतान के लिए उचित कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने का प्रश्न ही नहीं हो।
4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सम्पत्ति सूची तथा स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री के सम्बन्ध में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियाँ अपनायी जा रही हैं। भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार किए गए निगम की लेखा पुस्तकों और रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर हमें उपर्युक्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों में बड़ी कमजोरियों को सही करने में कोई निरन्तर विफलता नहीं दिखायी पड़ी।
5. निगम के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301(3) के अन्तर्गत रजिस्टर समुचित रूप में नहीं रखे गये और न अद्यतन किए गये। इस प्रकार हमें प्रबन्धन से पार्टियों के विवरण नहीं मिले और उक्त रजिस्टर में जिनके लेन देनों की प्रविष्टियाँ हमारी आडिट के लिए अपेक्षित हैं।
 हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में करारों अथवा सौदों के अनुसरण में धारा 301 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में लेनदेन तथा किसी भी पार्टी को वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के है जोकि तत्कालीन बाजार मूल्य के अनुसार उचित है।
6. हमारी बेहतर जानकारी एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58एए के अन्तर्गत कोई अमानतें स्वीकार नहीं की हैं।
7. निगम ने एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को एक निश्चित कार्यक्षेत्र बताए बिना आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया है। हमारी राय के अनुसार ये निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
8. निगम में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अनुसार लागत रिकार्ड रखने का प्रावधान लागू नहीं होता।
9. (i) निगम के रिकार्ड के अनुसार निगम द्वारा उपर्युक्त प्राधिकारियों को प्रोविडेन्ट फंड, एम्प्लोयर स्टेट इन्श्युरेन्स, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, आय कर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, कस्टम ड्यूटी, एस, तथा इस पर लागू अन्य वैधानिक देय सहित अविवादित देय नियमित रूप से जमा कराये हैं।
 (ii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार आय कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी एवं एक्साइज ड्यूटी से सम्बन्धित कोई अविवादित राशि देना बाकी नहीं है जो कि वर्ष के अन्त में जिस दिन यह देय हो जाती है उसके 6 महीनों से ज्यादा अवधि की बकाया है।

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 3 of the Auditor's Report of even date to the members of 'National Film Development Corporation Limited' on the financial statements for the year ended 31st March 2005).

1. (a) The Corporation has maintained records of Fixed Assets, however, the asset-wise details of exact locations, accumulated depreciation, WDV at the year-end, identification, movement of assets are not available from such records.
- (b) Though the physical verification of Fixed Assets was conducted by the management at the year-end, material discrepancies on such verification could not be ascertained in the absence of detailed records. In our opinion, periodicity of physical verification on yearly basis is reasonable having regard to size of Corporation and nature of its business.
- (c) There was no substantial disposal of Fixed Assets during the year, which would affect the going concern of the Corporation.
2. (a) As per the information and explanations given to us, the management has not carried out the physical verification of inventory at some of its units, since inventory constitutes negligible amount in its current assets as compared to the size of the business of the Corporation.
- (b) Since no physical verification was carried out by the management, our opinion regarding reasonableness and adequacy about the procedures of physical verification is not required to be given.
- (c) As per the information and explanations given to us, the Corporation is maintaining proper records of inventory.
- (d) Pending physical verification, we are unable to comment on whether there is material discrepancy between physical verification and book records.
3. The Corporation has neither taken nor granted any loans and advances in the nature of loans to parties covered in the register maintained u/s. 301 of the Companies Act, 1956. Hence, the question of reporting whether the terms and conditions of such loans are prejudicial to the interests of the Corporation, whether reasonable steps for recovery/repayment of overdues of such loans are taken, does not arise.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Corporation and nature of its business for the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods. On the basis of our examination of the books and records of the Corporation, carried out in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India, we have not observed any continuing failure to correct the major weakness in the aforesaid internal control procedures.
5. Based on our examinations of Corporation's records, we are of the opinion that register maintained u/s. 301 of the Companies Act, 1956 has not been properly maintained and updated. We have obtained the particulars of parties, transactions of parties and transactions required to be entered in the said register from management for the purpose of our audit.
In our opinion and according to the information and explanations given to us, the transactions made in pursuance of contracts or arrangements entered in the register maintained u/s. 301 and exceeding the value of five lacs rupees in respect of any party during the year have been made at prices which are reasonable having regard to prevailing market prices at the relevant time.
6. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, the Corporation has not accepted any deposits u/s. 58A and 58AA of the Companies Act, 1956.
7. The Corporation has appointed a firm of chartered accountants for carrying out the internal audit, without any definite scope of work for the assignments. As such, in our opinion and according to information, the internal audit system is not commensurate with the size of the Corporation and nature of its business.
8. Provision for maintenance of cost records u/s. 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956 is not applicable to the Corporation.
9. (i) According to the records of the Corporation, the Corporation is regular in depositing with appropriate authorities, undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employer State Insurance, Investor Education Protection Fund, Income Tax, Sales-Tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues applicable to it.
- (ii) According to the information and explanations given to us, there are no undisputed amounts payable in respect of income-tax, wealth-tax, sales tax, customs duty and excise duty which were outstanding at the year-end for a period of more than 6 months from the day became payable.

- (iii) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया और निगम के रिकार्ड के अनुसार आय कर, सम्पत्ति कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तथा सैस से सम्बन्धित कोई देय नहीं है जो किसी विवाद की वजह से जमा न कराया गया हो सिवाय निम्नांकित मामले के :

संविधि का नाम	देय की प्रकृति	राशि
द वेस्ट बेंगाल सेल्स आयकर अधिनियम	इस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स असोसियेशन द्वारा टेक्स एक्ट केस दायर किए जाने के अनुसार 1.9.94 से 31.3.05 की अवधि के लिए फिल्मवितरण व्यवसाय पर बिक्री कर पश्चिम बंगाल सरकार को देय	15,43,928.00

- रिपोर्टाधीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट (संदर्भ टिप्पणी सं. 4) की अर्हताओं पर विचार करते हुए जो कि परिमाणन योग्य है। निगम की संचित हानियों 31-3-05 को शुद्ध मूल्य पूरी तरह तिरोभूत कर गई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान निगम में हुई रोकड़ हानियाँ हमारे लेखा परीक्षण द्वारा कवर की गई हैं तथा उसके उत्तरवर्ती वर्ष में भी रोकड़ हानियाँ हुई हैं।
- निगम के रिकार्ड के अनुसार वर्ष के अन्त तक निगम ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से उधार नहीं लिया है और नहीं ऋण-पत्र जारी किये हैं। अतः हमारी राय में वित्तीय संस्थानों या बैंकों अथवा ऋण-पत्रों के देयों के पुनर्भुगतान में दोषी होने की रिपोर्ट करने का प्रश्न नहीं उठता।
- हमें दी गई जानकारीयों तथा स्पष्टीकरणों तथा निगम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकार्ड के आधार पर निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, ऋण-पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।
- हमारी राय तथा हमें दी गई जानकारीयों एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम की गतिविधियों की प्रकृति की दृष्टि से किसी विशेष संविधि की आवश्यकता नहीं है जो चिट फंड, निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फंड सोसाइटीओं के लिए लागू होती है।
- निगम के रिकार्ड तथा हमें दी गई जानकारीयों एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम शेयरों, प्रतिभूतियों तथा ऋण-पत्रों, अन्य निवेशों में व्यापार या लेनदेन नहीं करता है।
- हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने दूसरों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गये ऋणों के लिए कोई गारन्टी नहीं दी है।
- निगम के रिकार्ड के अनुसार निगम ने कोई सार्वजनिक ऋण नहीं लिया है। अतः आदेश के उपवाक्य 4(xvi) के अन्तर्गत हमारी टिप्पणियाँ नहीं मांगी गई हैं।
- हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा निगम के तुलन पत्र के सम्पूर्ण परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि निगम की ऐसी कोई निधि नहीं है जो अल्पावधि के आधार पर संचित हो जिसे दीर्घावधि निवेशों में अथवा इसके विपरीत उपयोग में नहीं लाई गई है।
- निगम के रिकार्ड तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301(3) के अनुसार अपेक्षित रजिस्टर के अन्तर्गत आनेवाली अन्य पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई प्राथमिकता वाला आबन्धन नहीं किया गया है।
- निगम के रिकार्ड के अनुसार निगम ने कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किए हैं।
- चूँकि निगम ने वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निर्गम के द्वारा धन नहीं संचित किया है। अतः आदेश के उपवाक्य 4(xx) के अन्तर्गत हमारी टिप्पणियाँ नहीं चाही गई हैं।
- प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर जिनपर हमने विश्वास किया है कि वर्ष के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ अथवा निगम की जानकारी में आया या रिपोर्ट किया गया।

याजी प्रभु एंड एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार

(सुधन डी. याजी,)

साक्षेदार

स.सं. 22887

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30.08.2005

- (iii) As explained to us and according to the records of the Corporation, except for the cases mentioned below, no dues of Income Tax, Sales Tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty and Cess which have not been deposited on account of any disputes.

Name of the statute	Nature of dues	Amount
The West Bengal Sales Tax Act	Sales tax on Film Distribution business payable to West Bengal Govt. for the period from 01.09.94 to 31.03.05 as per case filed by Eastern India Motion Picture Association.	15,43,928.00

10. Considering the qualification, which is quantifiable (Refer Note No. 2 of Schedule 30 in Notes on Accounts), the net worth of the Corporation is completely eroded as on 31.03.05. The Corporation has incurred cash losses during the financial year covered by our audit and incurred cash losses in the immediately preceding financial year also.
11. According to the records of the Corporation, the Corporation has not borrowed from financial institutions or bank or issued any debentures, till the end of the year. Hence, in our opinion, the question of reporting on defaults in repayment of dues to financial institutions or banks or debentures does not arise.
12. According to the information and explanations given to us and based on the documents and records produced by the Corporation, the Corporation has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
13. In our opinion and according to information and explanations given to us, the nature of activities of the Corporation does not attract any special statute applicable to chit fund, nidhi/mutual benefit fund/societies.
14. As per the records of the Corporation and the information and explanations given to us, the Corporation is not dealing or trading in shares, securities and debentures and other investments.
15. According to information and explanations given to us, the Corporation has not given any guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.
16. According to the records of the Corporation, the Corporation has not obtained any term loans. Hence, our comments under the clause 4(xvi) of the order are not called for.
17. According to the information and explanations given to us, and on an overall examination of the Balance Sheet of the Corporation, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investments by the Corporation and *Vice Versa*.
18. According to the records of the Corporation and information and explanations given to us, the Corporation has not made any preferential allotment of shares to any parties or companies covered in the register required to be maintained under section 301(3) of the Companies Act, 1956.
19. According to the records of Corporation, the Corporation has not issued any debentures.
20. Since the Corporation has not raised money by public issue during the year, our comments under clause 4(xx) of the order are not called for.
21. Based on the information and explanations furnished by the management which have been relied upon by us, there were no frauds on or by the Corporation noticed or reported during the year.

For YARDI PRABHU & ASSOCIATES,
Chartered Accountants

(SUDHAN D. YARDI)
Partner
M. No. 22887

Place : Mumbai
Dated : 30.08.2005

दिनांक 31 मार्च, 2005 का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2005

		अनुसूची Schedule	31.3.2005 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees	31.3.2004 को रुपये As At 31.3.2004 Rupees
निधि स्रोत	SOURCES OF FUNDS			
अंशधारकों की निधि	share holder's funds			
शेयर पूंजी	Share Capital	1	13,99,98,500	13,99,98,500
संचय और अधिशेष	Reserve and Surplus	2	2,32,736	2,32,736
			14,02,31,236	
ऋण निधि	Loan Funds			
प्रतिभूत ऋण	Secured Loans	3	1,41,53,153	2,30,34,507
कुल	Total		15,43,84,389	16,32,65,743
निधि विनियोग	APPLICATION OF FUNDS			
स्थायी परिसम्पत्ति	Fixed Assets	4		
सकल परिसम्पत्ति	Gross Block		25,74,19,996	25,53,08,973
घटाइए: संचित मूल्य ह्रास	Less : Accumulated Depreciation		18,47,01,169	16,78,97,639
निवल परिसंपत्ति	Net Block		7,27,18,827	8,74,11,334
चालू परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम	Current Assets, Loans & Advances			
सम्पत्ति सूची	Inventories	5	86,49,277	3,47,76,681
विविध देनदार	Sundry Debtors	6	31,02,01,072	36,39,79,206
नगद और बैंक बाकी	Cash & Bank Balances	7	3,67,01,219	4,00,61,981
ऋण और अग्रिम	Loans & Advances	8	13,78,29,584	17,71,28,615
अन्य चालू परिसम्पत्ति	Other Current Assets	9	9,66,494	9,37,226
			49,43,47,646	61,68,83,709
घटाइए: चालू देयताएं और प्रावधान	Less: Current Liabilities & Provisions	10	52,77,39,375	59,85,26,494
शुद्ध चालू परिसम्पत्ति	Net Current Assets		(3,33,91,729)	1,83,57,215
लाभ एवं हानि लेखा	Profit & Loss A/c.	11	10,87,30,815	5,74,97,194
आस्थगित राजस्व व्यय (स्वे.से.नि.यो. व्यय का परिशोधन)	Deffered Revenue Expenditure (VRS Expense Amortised)		63,26,476	—
कुल	Total		15,43,84,389	16,32,65,743
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	30		
अनुसूची 1 से 29, महत्वपूर्ण नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ लेखों के अंगस्वरूप हैं।	Schedules 1 to 29, Significant Accounting policies and Notes on Accounts form part of accounts.			

यह तुलन पत्र हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है
कृते **यार्डी प्रभू एंड एसोसियेट्स**
सन्दी लेखाकार
सुधन डी. यार्डी
साझेदार

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date
For **Yardi Prabhu & Associates**
Chartered Accountants
Sudhan D. Yardi
Partner

मुंबई, 30.08.2005

Mumbai, 30.08.2005

निदेशक मंडल की ओर से

पी. सत्यनारायणन
निदेशक (वित्त)
P. Sathyanarayanan
Director (Finance)
उदय नायक
प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
मुंबई, 26.08.2005

For and on Behalf of Board of Directors
सी. ए. बोध
निदेशक
C. A. Bodh
Director
Uday Nayak
Manager (F&A)
Mumbai, 26.08.2005

दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ व हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

		अनुसूची Schedule	चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
आय	INCOME			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity	12	60,36,331	39,17,689
स्वकीय निर्माण (फिल्मस्)	Own Production (Films)	13	31,66,248	40,38,380
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution		12,77,482	60,44,190
विदेशी फिल्म वितरण	Foreign Film Distribution	14	28,67,440	61,50,186
निर्यात गतिविधि	Export Activity	15	81,63,021	1,31,24,067
सहनिर्माण (फिल्में)	Co-production (Films)	16	1,19,13,097	47,32,374
सेवा परियोजनाएँ	Service Projects	17	2,97,49,012	5,18,01,839
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	Distribution of films through TV	18	14,08,56,126	25,78,18,600
			20,40,28,757	34,76,27,325
अन्य आय	Other Income	19	1,68,99,562	2,14,37,918
कुल	Total		22,09,28,319	36,90,65,243
व्यय	EXPENDITURE			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity		1,01,005	1,26,756
स्वकीय निर्माण (फिल्मस्)	Own Production (Films)		7,99,608	19,51,419
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution		4,73,218	9,70,278
विदेशी फिल्म वितरण	Foreign Film Distribution	20	4,42,719	7,67,848
निर्यात गतिविधि	Export Activity		67,86,473	69,82,199
सेवा परियोजनाएँ	Service Projects	21	1,37,50,623	1,64,34,054
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	Distribution of Films through TV	22	6,91,95,717	18,57,48,160
विदेशी फिल्म समारोह	Foreign Film Festivals	23	21,72,319	27,58,851
कार्मिक व्यय	Personnel Expenses	24	5,48,32,879	6,51,81,153
प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses	25	3,67,42,730	4,35,41,526
			18,52,97,291	32,44,62,244
फीचर फिल्मों के मूल्य का परिशोधन	Amortisation of Feature films and Cost of Prints	26	2,71,39,384	1,60,87,704
ब्याज	Interest	27	24,84,094	14,76,123
मूल्य हास	Depreciation		1,71,25,470	1,77,90,865
बट्टे खाते में डाला गया संदेहात्मक ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Bad Debts Written off /Provision for doubtful debts/ loans/ advances	28	2,75,55,633	10,17,97,326
कुल	Total		25,96,01,872	46,16,14,262

दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ व हानि लेखा (क्रमशः)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

		अनुसूची Schedule	चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) before tax		(3,86,73,553)	(9,25,49,019)
घटाइए: कर के लिए प्रावधान	Less: Provision for Taxation		—	—
कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) after tax		(3,86,73,553)	(9,25,49,019)
जोड़िए/(घटाइए): गत वर्ष का समंजन	Add/(Less): Prior Year Adjustment	29	(1,88,29,107)	(87,73,786)
जोड़िए: अधिक प्रावधान से प्राप्त/	Add/(Less): Excess provision written back			
संदेहात्मक ऋणों/ऋणों और अग्रिमों	Doubtful debts/ Loans and advances		19,87,413	1,82,44,805
आय कर	Income Tax		42,81,626	—
जोड़िए: अग्रेनीत लाभ/(हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		(5,12,33,621)	(8,30,78,000)
जोड़िए: सामान्य संचय से अंतरित	Add: Transfer from General Reserve		—	13,851,991
तुलन पत्र में लाया गया शेष	Balance Carried to Balance Sheet		(108,730,815)	(57,497,194)
लेखों पर टिप्पणियाँ अनुसूची 1 से 29, महत्वपूर्ण नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ लेखों के अंगस्वरूप हैं।	Notes on Accounts Schedules 1 to 29, Significant Accounting policies and Notes on Accounts form part of accounts.	30		

यह तुलन पत्र हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है

कृते **यार्डी प्रभू एंड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार

सुधन डी. यार्डी
साझेदार

मुंबई, 30.08.2005

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For **Yardi Prabhu & Associates**
Chartered Accountants

Sudhan D. Yardi
Partner

Mumbai, 30.08.2005

निदेशक मंडल की ओर से

पी. सत्यनारायणन
निदेशक (वित्त)

P. Sathyanarayanan
Director (Finance)

उदय नायक
प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

मुंबई, 26.08.2005

For and on Behalf of
Board of Directors

सी. ए. बोध
निदेशक

C. A. Bodh
Director

Uday Nayak
Manager (F&A)

Mumbai, 26.08.2005

लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS

		31.3.2005 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees		31.3.2004 को रुपये As At 31.3.2004 Rupees
अनुसूची 1 शेयर पूँजी प्राधिकृत: प्रत्येक 100 रुपये के 14,00,000 इक्विटी शेयर निर्गमित और प्रदत्त : 13,99,985 (गत वर्ष 13,99,985) इक्विटी शेयर प्रत्येक 100 रुपयेवाले उपर्युक्त शेयरों में से : (क) तत्कालीन भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम के इस कंपनी में समामेलन के फलस्वरूप विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार 1,25,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए जिनका भुगतान नकद रूप में प्राप्त नहीं हुआ। (ख) सरकारी ऋण तथा उस पर उपार्जित ब्याज को शेयर में परिवर्तित करने पर 1,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।	SCHEDULE 1 SHARE CAPITAL Authorised: 14,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each Issued and Subscribed & Paid Up: 13,99,985 (Previous Year 13,99,985) Equity Shares of Rs. 100 each. Of the above: (a) 1,25,000 Shares are allotted consequent upon the amalgamation of Indian Motion Picture Export Corporation Limited and Film Finance Corporation Limited with the company pursuant to the order of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, without payments being received in cash (b) 1,00,000 shares are allotted in conversion of Government loan and interest accrued thereon into share capital.		14,00,00,000 13,99,98,500 13,99,98,500	 14,00,00,000 13,99,98,500 13,99,98,500
अनुसूची 2 संचय और अधिशेष पूँजीगत संचय सामान्य संचय पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार शेष घटाइए: लाभ एवं हानि लेखा के अंतर्गत विशेष संचय (निर्यात) लाभ एवं हानि खाता गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार शेष घटाइए: शेष आगे लाया गया	SCHEDULE 2 RESERVES AND SURPLUS Capital Reserve General Reserve Balance as per last Balance Sheet Less: Transferred to Profit & Loss A/c Special Reserve (Export) Profit and Loss Account Balance as per last Balance Sheet Less: Balance Carried forward		21,875 — 2,10,861 — 2,32,736	21,875 1,38,51,991 1,38,51,991 2,10,861 1,17,28,815 1,17,28,815 2,32,736
अनुसूची 3 प्रतिभूत ऋण बैंक अधिविकर्ष (स्थायी जमा रसीदोंको गिरवी रख कर बैंक ऋण)	SCHEDULE 3 SECURED LOANS Overdraft (Secured against Pledge of Fixed Deposit Receipts)		1,41,53,153 1,41,53,153	2,30,34,507 2,30,34,507

अनुसूची 4
SCHEDULE 4
स्थायी परिसम्पत्तियाँ
FIXED ASSETS

क्र. सं.	विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति लागत मूल्य पर GROSS BLOCK (AT COST)				मूल्य ह्रास DEPRECIATION				शुद्ध परिसम्पत्ति NET BLOCK	
			1.4.2004 को रुपये As At 1.4.2004 Rupees	वृद्धियाँ रुपये Additions Rupees	कटौतियाँ रुपये Deductions Rupees	31.3.05 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees	1.4.04 तक रुपये Upto 1.4.2004 Rupees	समंजन/ कटौतियाँ रुपये Adj. / Ded. Rupees	इस वर्ष रुपये For The Year Rupees	31.3.05 तक कुल ह्रास रुपये Total Depr. Upto 31.3.05 Rupees	31.3.05 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees	31.3.04 को रुपये As At 31.3.2004 Rupees
1.	पट्टे पर भूमि	Lease Hold Land	1,38,000	—	—	1,38,000	31,949	—	1,453	33,402	1,04,598	1,06,051
2.	इमारत (16 मि.मि.)	Building (16mm)	5,72,487	—	—	5,72,487	3,86,423	—	9,303	3,95,726	1,76,761	1,86,064
3.	इमारत (उपशीर्षक एकक)	Building (Subtitling)	5,66,286	—	—	5,66,286	3,62,782	—	10,175	3,72,957	1,93,329	2,03,504
4.	कार्यालय स्थान	Office Premises	84,82,294	7,95,029	—	92,77,323	37,03,095	—	2,57,615	39,60,710	53,16,613	47,79,199
5.	ओनरशीप फ्लैट	Ownership Flats	4,08,885	—	—	4,08,885	2,65,488	—	7,170	2,72,658	1,36,227	1,43,397
6.	विडियो कैसेट रिकार्डिंग	Video Cassette Recording	1,02,08,129	69,560	—	1,02,77,689	85,15,483	—	2,09,095	87,24,578	15,53,111	16,92,646
7.	उपशीर्षक एकक	Subtitling Unit	1,33,94,057	—	—	1,33,94,057	1,25,51,480	—	82,195	1,26,33,675	7,60,382	8,42,577
8.	16 मि.मि. अवस्थापना	16mm Infrastructure	1,30,01,665	—	—	1,30,01,665	1,07,58,195	—	2,81,808	1,10,40,003	19,61,662	22,43,470
9.	वीडियो स्टुडियो	Video Studio	8,99,08,231	2,94,444	—	9,02,02,675	4,67,03,850	—	79,78,938	5,46,82,788	3,55,19,887	4,32,04,381
10.	लेजर स्टुडियो	Laser Studio	5,66,57,804	3,79,799	—	5,70,37,603	3,59,65,306	—	54,45,181	4,14,10,487	1,56,27,116	2,06,92,498
11.	विशेष प्रभाव	Special Effects	99,97,961	—	—	99,97,961	94,98,063	—	—	94,98,063	4,99,898	4,99,898
12.	टेलिसिने उपकरण	Telecine Equipments	1,07,90,801	—	—	1,07,90,801	73,85,059	—	8,06,626	81,91,685	25,99,116	34,05,742
13.	सिनेमा उपकरण (वितरण के लिये)	Cinema Equipments (Distribution)	65,953	—	—	65,953	65,119	—	167	65,286	667	834
14.	सिनेमा उपकरण (प्रदर्शन के लिये)	Cinema Equipments (Exhibition)	3,87,991	—	—	3,87,991	3,85,430	—	512	3,85,942	2,049	2,561
15.	कार्यालय उपकरण	Office Equipments	1,70,12,709	4,14,390	55,520	1,73,71,579	1,30,42,512	18,295	6,33,987	1,36,58,204	37,13,375	39,70,197
16.	कॉम्प्यूटर	Computers	30,50,151	2,78,730	45,350	32,83,531	20,98,508	42,068	4,53,737	25,10,177	7,73,354	9,51,643
17.	सजा सामग्री और उपस्कर (कार्यालय)	Furniture & Fixtures, (Office premises)	1,61,11,348	2,64,132	—	1,63,75,480	1,31,63,328	—	5,54,487	1,37,17,815	26,57,665	29,48,020
18.	सजा सामग्री और उपस्कर (ओनरशीप फ्लैट)	Furniture & Fixture (Ownership flat)	2,69,148	—	—	2,69,148	2,58,128	—	1,995	2,60,123	9,025	11,020
19.	वाहन	Vehicles	42,85,073	—	2,84,191	40,00,882	27,57,441	2,61,577	3,91,026	28,86,890	11,13,992	15,27,632
	योग	Total	25,53,08,973	2,496,084	3,85,061	25,74,19,996	16,78,97,639	3,21,940	17,125,470	18,47,01,169	7,27,18,827	8,74,11,334
	गत वर्ष का योग	Previous Year Total	26,62,07,732	13,864,496	2,47,63,255	25,53,08,973	17,35,93,393	(2,34,86,619)	1,77,90,865	16,78,97,639	8,74,11,334	9,26,14,339

		31.3.2005 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees		31.3.2004 को रुपये As At 31.3.2004 Rupees
अनुसूची 5 संपत्ति सूची	SCHEDULE 5 INVENTORIES			
आयातित फिल्मों के वितरण प्रदर्शन अधिकार (अपरिशोधित लागत पर)	Exploitation rights in imported films (at unamortised costs)	—		4,44,163
फीचर फिल्में	Feature Films			
पूर्ण हो चुकी फिल्में	Completed films	18,42,325		2,21,87,701
निर्माण लागत (अपरिशोधित लागत)	Cost of production (at unamortised costs)			
निर्माणाधीन फिल्में (लागत मूल्य पर)	Films under production (at cost)	67,39,939		1,20,63,069
खाली वीडियो कैसेटों की संख्या	Stock of Blank Video Cassettes (at cost)	65,075		79,810
सोना (लागत मूल्य पर)	Gold (at cost)	1,938		1,938
		<u>86,49,277</u>		<u>3,47,76,681</u>
अनुसूची 6 विविध देनदार	SCHEDULE 6 SUNDRY DEBTORS			
प्रतिभूति रहित छह महीनों से अधिक अवधि के बकाया देनदार	Unsecured Debts			
असंदिग्ध	Outstanding over six months			
संदिग्ध	Considered good	25,98,06,780		31,89,88,600
अन्य देय: असंदिग्ध	Considered doubtful	18,33,15,294		16,30,17,800
	Other Debts: Considered good	5,03,94,292		4,49,90,606
		<u>49,35,16,366</u>		<u>52,69,97,006</u>
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	<u>18,33,15,294</u>		<u>16,30,17,800</u>
			<u>31,02,01,072</u>	<u>36,39,79,206</u>
अनुसूची 7 रोकड़ और बैंकों में शेष	SCHEDULE 7 CASH AND BANK BALANCES			
रोकड़ बाकी	Cash on hand	47,428		44,499
फ्रैंकिंग मशीन में शेष	Balance in Franking Machine	7,309		4,294
अनुसूचित बैंकों में शेष :	Balance with Scheduled Banks:			
चालू खातों में	On Current Accounts	11,51,482		35,63,188
जमा खातों में	On Deposit Accounts	3,54,95,000		3,64,50,000
		<u>3,67,01,219</u>		<u>4,00,61,981</u>
अनुसूची 8 ऋण और अग्रिम	SCHEDULE 8 LOANS AND ADVANCES			
फिल्म निर्माण के लिए ऋण	Loans for production of films			
असंदिग्ध :	Considered good:			
प्रतिभूत	Secured	48,11,216		42,92,820
संदिग्ध :	Considered doubtful:			
अप्रतिभूत	Unsecured	1,70,29,715		1,80,21,841
		<u>2,18,40,931</u>		<u>2,23,14,661</u>
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful loans	<u>1,70,29,715</u>		<u>1,80,21,841</u>
			<u>48,11,216</u>	<u>42,92,820</u>

		31.3.2005 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees		31.3.2004 को रुपये As At 31.3.2004 Rupees
अनुसूची 8 (क्रमशः)	SCHEDULE 8 (Contd.)			
ऋण और अग्रिम	LOANS AND ADVANCES			
सिनेमागृह निर्माण के लिए ऋण	Loans for construction of theatres:			
असंदिग्ध :	Considered good:			
प्रतिभूत	Secured	—		—
अप्रतिभूत	Unsecured	47,02,314		56,29,584
(राज्य सरकार/बैंक द्वारा गारंटीकृत)	(Guaranteed by State Govt./Bank)			
संदिग्ध :	Considered doubtful:	5,23,703		8,15,353
		52,26,017		64,44,937
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful loans	5,23,703		8,15,353
			47,02,314	56,29,584
टीवी धारावाहिकों के लिए ऋण	Loans for TV Serial			
असंदिग्ध	Considered good	—		—
संदिग्ध	Considered doubtful	15,05,963		15,05,963
		15,05,963		15,05,963
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful loans	15,05,963		15,05,963
			—	—
कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances to staff:			
प्रतिभूत, असंदिग्ध	Secured, Considered good	57,30,463		68,16,995
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered good	9,13,802		9,90,424
			66,44,265	78,07,419
नकद या वस्तु रूप में या प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम (अप्रतिभूत) :	Advances recoverable in cash or kind for value to be received (Unsecured):			
असंदिग्ध	Considered good	10,57,02,103		14,17,49,355
संदिग्ध	Considered doubtful	27,73,853		35,39,140
		10,84,75,956		14,52,88,495
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	27,73,853		35,39,140
			105,702,103	14,17,49,355
फिल्म निर्माण के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत) :	Advances for Production of films (Unsecured):			
स्वकीय निर्माण: असंदिग्ध	Own Production: Considered good	3,71,886		3,70,671
सहनिर्माण: असंदिग्ध	Co-Production: Considered good	76,31,856		75,45,069
			80,03,742	79,15,740
अमानतें	Deposits			
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered good		79,65,944	97,33,697
			13,78,29,584	17,71,28,615

		31.3.2005 को रुपये As At 31.3.2005 Rupees		31.3.2004 को रुपये As At 31.3.2004 Rupees
अनुसूची 9 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ उपार्जित ब्याज : सावधि/निश्चित समयावधि जमापर	SCHEDULE 9 OTHER CURRENT ASSETS Interest accrued on: Fixed/Term Deposit		9,66,494 9,66,494	9,37,226 9,37,226
अनुसूची 10 चालू देयताएँ और प्रावधान चालू देयताएँ : अधिक निकाला गया बैंक बैलन्स ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम निर्माण के लिए अग्रिम फिल्मों के वितरण के लिए अग्रिम विविध लेनदार मंत्रालयों से परियोजनाओं के लिए अग्रिम कम्पनी के पास रखी अमानते अन्य देयताएँ	SCHEDULE 10 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS Current liabilities: Overdrawn Bank Balance Advances from Customers Advances for Productions Advance for Distribution of films Sundry Creditors Advances for Projects from Ministries Deposits placed with the Company Other Liabilities Provisions: For Taxation For Encashment of Leave	12,73,778 69,54,127 64,66,969 1,55,02,000 43,94,07,317 8,06,679 16,25,909 2,12,56,054 1,79,71,000 1,64,75,542	49,32,92,833 3,44,46,542 52,77,39,375	— 70,18,320 34,71,874 1,55,02,000 49,18,00,299 8,08,993 1,04,92,426 1,87,28,566 54,78,22,478 3,51,80,000 1,55,24,016 5,07,04,016 59,85,26,494
अनुसूची 11 लाभ एवं हानि लेखा तुलन पत्र से हानि अंतरित घटाइए: सामान्य संचय से अंतरित	SCHEDULE 11 PROFIT & LOSS ACCOUNT Loss Transferred from Balance Sheet Less: Transfer from General Reserve	10,87,30,815 —	10,87,30,815	7,13,49,185 1,38,51,991 5,74,97,194

			चालू वर्ष को रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष को रुपये Previous Year Rupees
अनुसूची 12 वित्तीय गतिविधि	SCHEDULE 12 FINANCING ACTIVITY			
ब्याज	Interest on:			
सिनेमागृह ऋणों पर	Theatre Loans	80,833		1,34,021
फिल्म ऋणों पर	Film Loans	5,95,000		5,75,874
			6,75,833	7,09,895
ऋण आवेदन पत्रों की बिक्री	Sale of loan application forms	8,510		3,840
ऋण आवेदन पत्रों पर शुल्क	Loan Application fees	1,27,000		3,02,000
उत्पादन सेवा कर	Production Service Charges	35,00,399		19,49,329
संदिग्ध ऋणों की वसूली	Bad debts recovery	17,24,589		9,52,625
			53,60,498	32,07,794
			60,36,331	39,17,689
अनुसूची 13 स्वयं निर्माण (फिल्में)	SCHEDULE 13 OWN PRODUCTION (FILMS)			
अधिकारों की बिक्री/वितरण से आय	Sale of rights/distribution Income		31,66,248	9,19,360
टीवी सेटेलाइट चैनल से	Television/Satellite Channels		—	31,19,020
			31,66,248	40,38,380
अनुसूची 14 विदेशी फिल्म वितरण	SCHEDULE 14 FOREIGN FILM DISTRIBUTION			
वितरण	Direct Distribution		28,49,897	23,62,598
टीवी प्रसारण	TV Telecast		—	37,08,513
वीडियो कैसेटों की बिक्री	Sale of Video Cassettes		17,543	79,075
			28,67,440	61,50,186
अनुसूची 15 निर्यात गतिविधि	SCHEDULE 15 EXPORT ACTIVITY			
(विदेशी मुद्रा में आय)	(Income in Foreign Exchange)			
रॉयल्टी (पट्टे पर दी गयी फिल्में)	Royalty (Leased films)	3,43,837		13,64,470
घटाइए: पट्टे का भुगतान	Less: Leased Payment	2,88,490		10,88,190
			55,347	2,76,280
रॉयल्टी (स्वकीय फिल्में)	Royalty (Own Films)	3,56,399		3,77,640
घटाइए: संबंधित फिल्म लेखा को अंतरित	Less: Transferred to respective film a/c.	2,31,659		2,44,866
			1,24,740	1,32,774
रॉयल्टी (सहनिर्मित फिल्में)	Royalty (Co-produced films)	82,07,253		51,58,057
घटाइए: संबंधित फिल्म लेखा को अंतरित	Less: Transferred to respective film a/c.	78,88,730		48,56,552
			3,18,523	3,01,505
माना गया निर्यात	Deemed Exports	32,45,000		72,28,674
घटाइए: संबंधित फिल्म लेखा को अंतरित	Less: Transferred to respective film a/c.	25,73,500		48,81,499
			6,71,500	23,47,175
भारत एक खोज	Bharat Ek Khoj	11,68,220		22,500
घटाइए: संबंधित फिल्म लेखा को अंतरित	Less: Transferred to respective film a/c.	9,34,576		18,000
			2,33,644	4,500
प्रायोजक शुल्क/सरकारी अंशदान	Sponsorship Fee/Govt. Contribution		66,16,000	58,57,981
विविध	Miscellaneous		1,43,267	42,03,852
			81,63,021	1,31,24,067

		चालू वर्ष को रुपये Current Year Rupees		गत वर्ष को रुपये Previous Year Rupees
अनुसूची 16 सहनिर्माण (फिल्में) विदेशी: एजेन्सी कमीशन लाभ का हिस्सा	SCHEDULE 16 CO-PRODUCTION (FILMS) Foreign Agency Commission Share of Profit	— 49,87,547	49,87,547	— 39,35,916 39,35,916
भारतीय बिक्री पर एजेन्सी कमीशन लाभ का हिस्सा	Indian Agency Commission on sale Share of Profit	— 69,25,550	69,25,550 1,19,13,097	7,96,458 7,96,458 47,32,374
अनुसूची 17 सेवा परियोजनाएँ 16 मि.मि. उपकरणों का किराया उपशीर्षकांकन प्रभार वीडियो अंतरण प्रभार वीडियो स्टुडियो उपकरण भाड़ा	SCHEDULE 17 SERVICE PROJECTS Hire of 16mm Equipment Subtitling Charges Video Transfer Charges Video Studio Equipment Leasing	14,31,740 1,04,05,540 45,19,375 1,33,92,357 — 2,97,49,012	14,31,740 1,04,05,540 45,19,375 1,33,92,357 — 2,97,49,012	22,34,175 2,45,89,597 9,63,330 1,83,14,737 57,00,000 5,18,01,839
अनुसूची 18 टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण प्रसारण रॉयल्टी (शुल्क) निःशुल्क वाणिज्यिक समय अन्य प्राप्तियाँ	SCHEDULE 18 DISTRIBUTION OF FILMS THROUGH TV Telecast Royalty Free Commercial Time Other Receipts	10,36,15,000 3,67,10,549 5,30,577 14,08,56,126	10,36,15,000 3,67,10,549 5,30,577 14,08,56,126	11,79,81,250 13,64,95,259 33,42,091 25,78,18,600
अनुसूची 19 अन्य आय ब्याज: बैंकों से (टीडीएस के रुपये 2,14,775/- सहित गत वर्ष रुपये 3,23,658/- सहित) अन्यों से (टीडीएस शून्य सहित गत वर्ष शून्य) सेवा प्रभार कार्यालय भवन का किराया पूर्व दर्शन प्रेक्षागार प्रभार विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के उच्चावचनों से लाभ विविध आय	SCHEDULE 19 OTHER INCOME Interest: From Banks (Including TDS Rs. 2,14,775/- Previous Year Rs. 3,23,658/-) From Others (Including TDS Rs. NIL Previous Year Rs. NIL) Service Charges Rent from Office Premises Preview Theatre Charges Profit on Foreign Exchange Fluctuations Miscellaneous Income	19,51,468 26,31,222 45,82,690 5,00,000 99,65,562 7,84,350 22,780 10,44,180 1,68,99,562	19,51,468 26,31,222 45,82,690 5,00,000 99,65,562 7,84,350 22,780 10,44,180 1,68,99,562	22,17,803 39,27,715 61,45,518 11,08,241 1,26,08,520 7,28,000 2,08,223 6,39,416 2,14,37,918

			चालू वर्ष को रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष को रुपये Previous Year Rupees
अनुसूची 20	SCHEDULE 20			
विदेशी फिल्म वितरण	FOREIGN FILM DISTRIBUTION			
विज्ञापन प्रचार और अन्य व्यय	Advertisement Publicity and Other Expenditure		13,212	1,79,303
डबिंग व्यय	Dubbing Charges		4,06,000	5,10,000
प्रदर्शन व्यय	Screening Charges		820	3,355
सेंसर शुल्क	Censorship Charges		—	3,000
प्रतिलिपिकरण खर्च	Copying Charges		—	29,542
भाड़ा और प्रेषण शुल्क	Freight and forwarding Charges		8,811	28,074
वीडियो कैसटों का विपणन	Video Cassette Marketing		13,876	14,574
			4,42,719	7,67,848
अनुसूची 21	SCHEDULE 21			
सेवा परियोजनाएँ	SERVICE PROJECTS			
उपशीर्षकांकन	Subtitling:			
पुर्जे, भंडार, रसायन एवं ब्लाक	Spares, Stores, Chemicals & Blocks		1,21,508	1,16,503
बिजली	Electricity		—	1,04,189
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to Machineries		9,12,595	8,15,945
बिमा	Insurance		4,38,809	
विविध	Miscellaneous		11,82,774	9,03,146
			26,55,686	19,39,783
16 एमएम अवस्थापना	16mm Infrastructure:			
पुर्जे, भंडार और उपभोग्य वस्तुएँ	Spares, Stores and Consumables		44,574	19,098
बिजली	Electricity		1,16,293	1,59,026
भाड़ा	Rent		1,07,384	1,16,652
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to Machineries		1,60,578	1,32,605
विविध	Miscellaneous		5,68,496	6,22,949
			9,97,325	10,50,330
वीडियो कैसेट रिकार्डिंग	Video Cassette Recording:			
पुर्जे, भंडार और उपभोग्य वस्तुएँ	Spares, Stores and Consumables		16,164	23,856
बिजली	Electricity		3,18,453	2,27,513
भाड़ा	Rent		4,17,991	3,66,913
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to Machineries		1,43,815	1,27,024
विविध	Miscellaneous		6,77,599	6,13,998
कैमरा किराये से	Camera Hire		1,83,554	1,37,450
			17,57,576	14,96,754
वीडियो स्टुडियो	Video Studio			
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to Machineries		3,42,227	3,24,400
पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएँ	Spares and Consumables		42,835	2,56,339
प्रोमो कैपसुलिंग / डबिंग चार्जेस	Promo Capusling/Dubbing Charges		6,78,910	15,42,543
ऑडियो वीडियो स्पॉट्स	Audio Video Spots		12,56,067	27,67,569
एज्युकेशनल चैनल	Educational Channel		59,31,147	62,21,794
बिमा	Insurance		2,049	—
विविध	Miscellaneous		86,801	8,34,542
			83,40,036	1,19,47,187
			1,37,50,623	1,64,34,054

		चालू वर्ष को रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष को रुपये Previous Year Rupees
अनुसूची 22	SCHEDULE 22		
टी वी के माध्यम से फिल्मों का वितरण	DISTRIBUTION OF FILMS THROUGH TV		
अधिकारों का अधिग्रहण	Acquisition of rights	474,61,470	8,40,40,579
स्लॉट शुल्क	Slot Charges	1,40,000	8,18,51,340
एफसीटी का खरीद	Purchase of FCT	2,06,20,315	92,41,250
मेट्रो/नेटवर्क/मूवी चैनल कार्यक्रम	Metro/Network/Movie Channel Programme	2,73,455	91,33,986
उपभोग्य सामग्री	Consumables	7,00,477	14,53,142
विज्ञापन और प्रचार	Advt. & Publicity	—	27,863
		6,91,95,717	18,57,48,160
अनुसूची 23	SCHEDULE 23		
विदेशी फिल्म समारोह	FOREIGN FILM FESTIVALS		
कान्स फिल्म समारोह	Cannes Film Festival	15,42,076	13,00,258
लाओस एन्जल्स फिल्म समारोह	Los Angeles Film Festival	3,46,349	5,18,735
मिपकोम फिल्म मार्केट	MIPCOM Film Market	—	3,63,167
फिल्म समारोह (अन्य)	Film Festival (Others)	2,83,894	5,76,691
		21,72,319	27,58,851
अनुसूची 24	SCHEDULE 24		
कार्मिक व्यय	PERSONNEL EXPENSES		
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries, Allowances & Bonus	421,97,098	4,33,60,944
स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना	Voluntary Retirement Scheme	15,81,619	6,40,438
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	Contribution to Provident and Other funds	41,36,409	46,82,057
उपदान	Gratuity	15,03,505	1,16,80,523
कर्मचारी कल्याण	Staff Welfare	54,14,248	48,17,191
		5,48,32,879	6,51,81,153
अनुसूची 25	SCHEDULE 25		
प्रशासनिक व्यय	ADMINISTRATIVE EXPENSES		
भाड़ा	Rent	91,17,965	95,36,329
उपकर और कर	Rates and Taxes	50,40,407	56,45,693
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance	39,42,692	40,55,154
बीमा	Insurance	1,02,464	1,65,196
डाक, तार, टेलेक्स और टेलिफोन	Postage, Telegrams, Telex & Telephones	21,48,368	25,99,434
छपाई और लेखन सामग्री	Printing and Stationery	11,57,396	18,71,953
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement and Publicity	4,14,613	4,38,696
विधि व्यय	Legal Charges	9,64,410	12,86,871
बैंक प्रभार	Bank Charges	52,907	91,748
व्यावसायिक प्रभार	Professional Charges	9,06,303	8,37,308
बिजली प्रभार	Electricity Charges	23,78,267	30,37,329
कर्मचारी भर्ती का व्यय	Staff Recruitment Expenses	27,588	
कर्मचारी यात्रा तथा स्थानीय यात्रा व्यय	Staff Travelling & Local Conveyance	26,27,719	36,94,492
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling	12,28,660	19,54,020

			चालू वर्ष को रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष को रुपये Previous Year Rupees
अनुसूची 25 (क्रमशः) प्रशासनिक व्यय निदेशकों का बैठक शुल्क कार्पोरेट आतिथ्य व्यय विविध लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक लेखा परीक्षा शुल्क टैक्स लेखा परीक्षा शुल्क लेखा परीक्षकों का जेब खर्च	SCHEDULE 25 (Contd.) ADMINISTRATIVE EXPENSES Director's Sitting Fees Corporate Entertainment Miscellaneous Auditors remunerations: Audit fee Tax Audit Fee Auditors out of pkt. Expenses		— 1,83,725 61,45,472 1,37,750 55,100 1,10,924 3,67,42,730	— 4,03,048 75,93,555 1,08,000 54,000 1,68,700 4,35,41,526
अनुसूची 26 फीचर फिल्मों का परिशोधन और प्रिंटों का मूल्य विदेशी फिल्में प्रारम्भिक शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान अधिगृहीत घटाइए : अंतिम शेष	SCHEDULE 26 AMORTISATION OF FEATURE FILM AND COST OF PRINTS Foreign Films: Opening Stock Add: Acquired during the year Less: Closing Stock		4,44,163 — 4,44,163 — 4,44,163	5,75,574 4,44,163 10,19,737 4,44,163 5,75,574
भारतीय फिल्में: निर्माण लागत (स्वकीय फिल्में) प्रारम्भिक शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान अधिगृहीत घटाइए : गत वर्ष का परिशोधन घटाइए : अंतिम शेष	Indian Films: Cost of Production (Own films) Opening Stock Add: Acquired during the year Less: Amortisation of Prior Year Less: Closing Stock		78,67,195 5,87,107 84,54,302 23,786 — 84,30,516	1,00,00,798 93,85,270 1,93,86,068 — 78,67,195 1,15,18,873
भारतीय फिल्में: निर्माण लागत (सह निर्माण फिल्में) प्रारम्भिक शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान अधिगृहीत घटाइए : अंतिम शेष	Indian Films: Cost of Production (Co-Production Films) Opening Stock Add: Acquired during the year Less: Closing Stock		1,43,20,505 39,44,200 1,82,64,705 — 1,82,64,705 2,71,39,384	33,10,546 1,50,03,216 1,83,13,762 1,43,20,505 39,93,257 1,60,87,704
अनुसूची 27 ब्याज बैंक अधिविकर्ष अन्य ऋण	SCHEDULE 27 INTEREST Bank Overdraft Other Loan		17,12,383 7,71,711 24,84,094	8,82,438 5,93,685 14,76,123

		चालू वर्ष को रुपये Current Year Rupees		गत वर्ष को रुपये Previous Year Rupees
अनुसूची 28	SCHEDULE 28			
अशोद्ध ऋण बट्टे खाते में डाले गये/ संदिग्ध ऋणों/ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	BAD DEBTS WRITTEN OFF/ PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS/LOANS & ADVANCES			
अशोद्ध ऋण बट्टे खाते में डाले गये	Bad debts written off:			
विविध देनदार	Sundry debtors:	72,58,139		4,57,900
विकासात्मक ऋण/अग्रिम	Developmental Loans/Advances	61,650		40,28,354
		73,19,789		44,86,254
घटाइए: संदिग्ध ऋणों ऋणों एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts Loans & Advances	72,49,139		—
		61,650		—
			9,000	44,86,254
अग्रिम के लिए प्रावधान	Provision made during the year			
विविध देनदार	Sundry debtors:	2,75,46,633		9,65,75,386
विकासात्मक ऋण/अग्रिम	Developmental Loans/Advances	—		7,35,686
			2,75,46,633	9,73,11,072
			2,75,55,633	10,17,97,326
अनुसूची 29	SCHEDULE 29			
पिछले वर्ष का समंजन	PRIOR YEAR ADJUSTMENT			
आय:	Income:			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity	66,559		—
स्व-निर्माण	Own-Production	—		4,50,000
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution	—		(1,89,234)
निर्यात गतिविधि	Export Activity	(7,15,923)		26,445
सेवा परियोजनाएँ	Service Projects	2,38,500		(1,87,684)
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	Distribution of Films Through TV	—		17,05,677
कार्मिक एवं प्रशासन	Personnel & Administration	468		(3,249)
अन्य आय	Other Income	(5,98,091)		21,40,347
कुल आय	Total income:	(10,08,487)		39,42,302
घटाइए: व्यय	Less: Expenditure			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity	—		(100)
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution	40,846		—
स्व-निर्माण	Own Production	—		(1,43,130)
सह निर्माण	Co-Production	—		4,46,000
निर्यात गतिविधि	Export Activity	2,500		3,36,878
सेवा परियोजनाएँ	Service Projects	5,26,970		1,53,153
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	Distribution of Films Through TV	1,60,96,386		1,04,48,896
कार्मिक एवं प्रशासन	Personnel & Administration	11,30,132		2,57,995
परिशोधन	Amortisation	23,786		—
ह्रास	Depreciation	—		12,16,396
कुल व्यय	Total Expenditure:	1,78,20,620		1,27,16,088
शेष	Balance	(1,88,29,107)		(87,73,786)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिखाई गई रकम ऋणात्मक राशियाँ हैं।

Note: The amount shown within brackets represents negatives

अनुसूची - 30 : 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. लेखाओंको तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

लेखा विवरणों को ऐतिहासिक लागत परम्परा के अधीन एकुअल आधार पर लेखा तथा इन्सिटिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू निर्धारित लेखा मानका और कम्पनी अधिनियम, 1956 के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश निम्नानुसार है।

2. राजस्व मान्यता:

2.1 आय एवं व्यय की मद का लेखा सामान्यतः एकुअल आधार पर किया जाता है।

2.2 फिल्मों और टेलिविजन सीरियलों की लागत का परिशोधन:

➤ विदेशी वाणिज्यिक फिल्मों/प्रिन्टों और टी. वी. अधिकारों तथा स्वकीय फिल्मों और अधिगृहीत फिल्मों की लागत और:

(क) भारतीय सहनिर्माण की फिल्मों में,

(ख) विदेशी सह निर्माण की फिल्मों में निगम के भाग का परिशोधन आयकर नियमों में किए गए निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर किया जाता है:

➤ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले कम से कम 90 दिनों की अवधि तक यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की सम्पूर्ण निर्माण/अधिग्रहण लागत को परिशोधित किया जाता है।

➤ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि 90 दिनों से कम अवधि के लिए फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की लागत/अधिग्रहण की राशि का परिशोधन उसकी वास्तविक आय और शेष यदि कोई हो की सीमा तक, को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत करके उस वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

➤ फिल्म यदि पूरी हो चुकी है किन्तु वित्तीय वर्ष में रिलीज या प्रदर्शित नहीं हुई है तो फिल्म की सम्पूर्ण लागत/अधिग्रहण को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है और उसी वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

2.3 भारतीय टी. वी. धारावाहिकों की निर्माण लागत/अधिग्रहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गए टी. वी. अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते में डाला जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों/धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं इनमें जो पहले आए।

2.4 कंपनी द्वारा खरीदे गए टी. वी. अधिकारों के लिए ऐसी स्थिति में जहाँ टी. वी. पर फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिए भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है। चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलिकास्ट होने पर लागू होती है इसलिए उनके भुगतान न किए अधिग्रहीत मूल्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

2.5 गैर-निष्पादन ऋणों से आय:

2.5.1 फिल्म निर्माण/सिनेमा उपकरण खरीद/सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर-निष्पादन ऋणों की ब्याज को प्रबन्धन द्वारा वसूली योग्य माना है, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूपसे वसूल न हो जाए।

2.5.2 फिल्मों और उपकरणों की खरीद/सिनेमा गृहों के निर्माण हेतु गैर-निष्पादन ऋणों की ब्याज को उस सीमा तक लेखाओं में लिया जाता है जब तक कि वह संवितरित की गई मूल रकम के बराबर न हो जाए और उसके आगे कोई भी जमाओं को नहीं लिया जाता जब तक कि वे वास्तविक रूप में वसूल न हो जाए।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ:

स्थायी परिसम्पत्तियाँ को मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्य-ह्रास को घटा कर दिखाया जाता है। अन्य सभी लागतें जो परिसम्पत्ति को अपने काम में लाने के उद्देश्य से लगाई जाती हैं और विदेशी विनिमय करारों के शुद्ध चार्ज अथवा विदेशी विनिमय दरों के उच्चावचों की वजह से जो लागत बढ़ जाती है उसे स्थायी परिसम्पत्ति में पूंजीगत किया जाता है।

4. मूल्य-ह्रास:

4.1 परिसम्पत्तियों का मूल्य-ह्रास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची क्रमांक 14 में दरों पर शेष घटाव पद्धति के अनुसार किया जाता है। जब तक कि नीचे कहा न जाए।

4.2 पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक मूल्य-ह्रास किया जाता है।

4.3 वीडियो कैसेट रिकार्डिंग उपकरण, उपशीर्षकांकन यूनिट और 16 एमएम अवस्थापित, इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेजर उपशीर्षकांकन पर मूल्य-ह्रास दि. 28 जून, 1982 के निदेशक मंडल के पारित संकल्प के अनुसार 10% की दर से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

4.4 एविड एअरप्ले परियोजनाएँ और स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो पर मूल्य-ह्रास 25% की दर से सीधी रेखा पद्धति से उपकरण की जीवन अवधि को ध्यान में लेते हुए किया गया है।

4.5 पूंजीगत मूल्य के 95% तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य-ह्रास किया गया है।

4.6 वर्ष के दौरान जोड़ी गई अन्य परिसम्पत्तियाँ का मूल्य-ह्रास उनके खरीद या जुड़ने की तारीख से तथा अनुपात से किया गया है।

4.7 रु. 5,000/- तक की परिसम्पत्ति का मूल्य-ह्रास उसके क्रय होने के वर्ष में पूर्ण रूप से किया गया है।

SCHEDULE 30 : NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED IN THE COMPILATION OF THE ACCOUNTS:

1. Basis for preparation of financial statements:

The financial statements have been prepared under historical cost convention on accrual basis of accounting and in accordance with the applicable accounting standards specified by The Institute Of Chartered Accountants of India and the relevant provisions of the Companies Act, 1956. A summary of important accounting policies is set out below:

2. Revenue Recognition:

2.1 Item of income and expenditure are generally accounted for on accrual basis.

2.2 Amortization of cost of Films & Television serials:

➤ Amortization of the cost of Films/Television serials in respect of foreign commercial films and prints and TV rights and cost of own production films and taken over films and Corporation's share in:

(a) Indian co-production films,

(b) Foreign co-production films is done by following the provision of Income Tax rules as under:

➤ Where the film is released for exhibition on commercial basis, at least for a period of 90 days before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films has been amortized.

➤ Where the film is released for exhibition on commercial basis for a period less than 90 days before the close of the financial year, the cost of production/acquisition is amortized to the extent of realization and balance if any carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

➤ Where the film is complete and not released or exhibited during the year the entire cost of production/acquisition is carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

2.3 Cost of production of Indian Television serials/acquired programmes and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials take place or in the Financial Year, in which the rights expired, whichever is earlier.

2.4 Rights in films for distribution through Television acquired by the Corporation wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

2.5 Income from non-performing Loans:

2.5.1 Interest on loans for Films and Purchase of Equipments/Constructions of Theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

2.5.2 Interest on non-performing loans for Films and Purchase of Equipments/Constructions of Theatres is accrued and accounted in the income only to the extent to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

3. Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at original cost (gross block) less accumulated depreciation. All other costs for bringing the asset to their working condition for their intended use and net charge on foreign exchange contracts or adjustments arising from foreign exchange rate variations attributable to the fixed assets are capitalized.

4. Depreciation:

4.1 Depreciation on assets has been provided on the "Written Down Value" basis at the rates prescribed by Schedule XIV of the Companies Act, 1956 unless otherwise stated below.

4.2 Leasehold land is depreciated over the period of lease.

4.3 Depreciation in respect of video cassettes recording equipment / telecine equipment, subtitling unit, 16mm infrastructure and Laser subtitling, video studio has been provided @ 10% on Straight Line Method in accordance with the Board Resolution dated June 28, 1982.

4.4 Depreciation on the Avid Airplay and Special Effects Studio has been provided @ 25% on Straight Line Method considering the life span of the equipments.

4.5 Depreciation is charged on Straight Line Method upto 95% of capitalized value.

4.6 Depreciation on all additions made during the year has been provided pro-rata from the date of such addition.

4.7 Assets costing upto Rs. 5,000/- are depreciated fully in the year of purchase.

5. पूर्व वर्ष की मदें:

पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणों में हुई त्रुटियों की वजह से किए गए समंजन को 'पूर्व वर्ष समंजन' खाते के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन:

निर्यात आमदनी को एक्जुअल आधार पर ही लेखा में लिया जाता है और फन्डप्राप्ति के दिन पर ग्राह्य दर के अनुसार आंका जाता है।

जो राशि वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं होती उसे संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यालयीन दिवस के विनिमय दर के आधार पर लेखा में लिया जाता है। विनिमय दर के कारण होनेवाली आय या व्यय समंजन पर या लेन देन के वक्त लाभ व हानि लेखा में लिया जाता है।

7. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ:

7.1 वर्ष के अधीन कंपनी ने कर्मचारियों के लिए सामूहिक उपदान न्यास की स्थापना की जाने के कारण और जीवन बीमा निगम से सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा की पॉलिसी ली है। जीवन बीमा निगम को भुगतान की गयी बीमा-किश्त की राशि उपदान खाते में डाल दी है।

7.2 पिछला सेवा दायित्व का एक्जुअल मूल्यांकन के अनुसार अलग से प्रावधान किया गया है।

7.3 कर्मचारियों को भुगतान योग्य (देय) भुनाई जानेवाली छुट्टी के लिए यह मानकर प्रावधान नहीं किया गया है कि इस तरह के लाभ सभी कर्मचारियों को लेखांतर्गत वर्ष के अंत में सभी को देय है।

8. संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/ऋणों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:

8.1 सभी विविध देनदारों/कर्जदारों के संबंध में सरकारी देयों के सिवाय 3 साल से ज्यादा अवधी के लिए।

8.2 अन्य विविध देनदारों/कर्जदारों के संबंध में प्रबन्धन के मतानुसार जहाँ ऋण वसूली संदिग्ध लगती है।

8.3 फिल्मों/सिनेमा गृह ऋणों/टीवी सीरियल वित्त पोषण और अन्य अग्रिमों के सम्बन्ध में ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जहाँ तक प्रबन्धन को लगता है कि यह वसूली योग्य नहीं है।

9. सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन सम्बन्धी व्यय:

सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन सम्बन्धी व्ययों को तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है ताकि भविष्य में होनेवाली आय से उनकी पूर्ति की जा सके। सिवाय उन फिल्मों जिनके बारे में प्रबन्धन को वसूली के अवसर संदेहास्पद लगते हैं। ऐसे मामलों में उन खर्चों को उस वर्ष के लाभहानि खाते में डाल दिया जाता है।

10. सम्पत्ति सूची:

10.1 सम्पत्ति सूची में:

(क) पूर्ण की हुई फिल्मों,

(ख) आयातित फिल्मों के वितरण प्रदर्शन अधिकार और

(ग) विदेशी सह निर्माण की फिल्मों में निगम का भाग और निर्माणाधीन फिल्मों की लागत, खाली वीडियो कैसेटों का स्टॉक तथा सोने की अपरिशोधित लागत शामिल है।

10.2 वीडियो कैसेटों का स्टॉक तथा निर्माणाधीन फिल्मों को लागत पर आकाँ गया है।

10.3 सोने का ऐतिहासिक लागत पर आँका गया है।

10.4 टेलिविजन के माध्यम वितरण हेतु खरीद किए गए यूमॉटिक, बीटा तथा वीएचएस कैसेटों की खरीद वाले वर्ष में ही उपभोग में चार्ज कर दिया जाता है।

11. कराधान:

11.1 टैक्स व्ययों में दोनों ही आस्थगित एवं चालू कर शामिल हैं। आस्थगित आय करों का चालू वर्ष में समय अन्तरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है जो कि करायोग्य आय और वर्ष के लिए लेखा की गई आय एवं पिछले वर्षों के विपरीत समय अन्तरों में परिलक्षित होता है।

11.2 आस्थगित करों को कर की दरों और कर सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन के आधार पर आँका जाता है अथवा तुलन पत्र की तिथि पर वास्तविक रूप से अधिनियमित होती है।

11.3 आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसी सीमा तक माना जाता है जहाँ समुचित निश्चितता होती है कि ऐसी आस्थगित कर आय परिसम्पत्तियाँ जिनके सामने पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी।

12. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ:

खर्चों की निम्नांकित मदें अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित लेखा मानक-26 (एएस-26) के अनुपालन में अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ मानी जाती है। जिन्हें कि परिशोधित अथवा निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

➤ स्वेच्छा निवृत्ति योजना खर्चें

— पाँच वर्ष के दौरान परिशोधित किए जाते हैं।

➤ सहनिर्माण शेष

— भावी आय के समक्ष वसूली होती है।

➤ सहनिर्माण व्ययों के सम्बन्ध में वितरण व्यय

— भावी आय के समक्ष वसूली होती है।

➤ अन्य

— भावी आय के समक्ष वसूली होती है।

5. Prior Period Items:

Adjustment arising due to errors or omissions in the financial statements of earlier years are accounted under “Prior Period Adjustments”.

6. Transactions in Foreign Exchange:

Export revenues are accounted on accrual basis and translated at the rates as on the date of receipt of funds.

Amounts not realized by the year-end, are accounted on the basis of exchange rate prevailing on the last working day of the financial year. Any income or expenses on account of exchange difference, either on settlement or translation, are recognized in the Profit & Loss Account.

7. Employees’ Retirement benefits:

7.1 Consequent upon the Corporation’s forming a Group Gratuity Trust for the employees and taking a policy under Group Gratuity cum Life Assurance Policy with LIC. The Premium paid to LIC stands debited to Gratuity Account.

7.2 Separate Provision has been made for the past service liability as per actuarial valuation.

7.3 Provision for Leave encashment payable to employees has been made on the assumption that such benefits are payable to all employees at the end of the accounting year.

8. Provisions for Doubtful Debts/Advances/Loans are made as follows:

8.1 In respect of all Sundry Debtors/other Debts outstanding for a period of more than 3 years other than Government dues.

8.2 In respect of all other sundry debtors/debts to the extent considered necessary in the opinion of the Management

8.3 In respect of loans for Film/Theatre/TV serial finance and other advances, the provisions are made for the loans and advances to the extent considered not recoverable by the Management.

9. Exploitation expenses in respect of co-production films:

Exploitation expenses in respect of co-production films are carried forward in the Balance Sheet to be recouped against future revenues there-from except in those cases where in the opinion of the Management, the chances of recoveries are doubtful. In such cases, the balances are charged to the Profit & Loss Account of that year.

10. Inventories:

10.1 Inventories include unamortised cost of:

- (a) completed films,
- (b) exploitations rights in imported films &
- (c) Corporation’s share in foreign co-production films and cost of films under production, stock of blank video cassettes and gold.

10.2 Stock of video cassettes and films under production have been valued at cost.

10.3 Gold is valued at historical cost.

10.4 Purchase of U-matic, BETA and VHS cassettes used for distribution of films through Television are charged to consumption in the year of purchase.

11. Taxation:

11.1 Tax expense comprises both deferred and current taxes. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years.

11.2 Deferred tax is measured based on tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

11.3 Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

12. Intangible Assets:

Following items of expenditure are treated as “Intangible Assets” in compliance of Accounting Standard–26 (AS 26) in respect of “intangible assets” to be amortised or recouped as under:

- | | |
|---|--|
| ➤ VRS expenditure | — amortised over a period of five years. |
| ➤ Co-production balances | — recouped against future income. |
| ➤ Exploitation Expenditure in respect of co-production expenses | — recouped against future income. |
| ➤ Others | — recouped against future income. |

ख. लेखों पर टिप्पणियाँ

1. (क) आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया:

(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	2004-05	2003-04
1.	बैंक गारन्टी	23,15,000	18,20,000
2.	फिल्म वितरण व्यवसाय के लिए बिक्रीकर प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावे जिनकी अपील फाइल की जा चुकी है।	15,43,928	14,07,401
3.	निगम के खिलाफ कानूनी मुकदमे	2,27,52,000	48,00,000
4.	निगम के विरुद्ध भवन के किराया में वृद्धि के लिए दावे न्यायालय के विचाराधीन होने के वजह से देय रूप में नहीं स्वीकार किए गये।	17,33,750	15,75,608
	कुल	2,83,44,678	96,03,009

(ख) निलम्बन के अधीन वरिष्ठ महाप्रबन्धक को देय शेष वेतन:

वरिष्ठ महाप्रबन्धक को तथ्यों के दुष्प्रस्तुतिकरण एवं निगम के दस्तावेजों को जब्त करने के आरोप में निलम्बित किया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें 50% वेतन दिया जाता है। यदि उन्हें अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी हो जाने पर सेवा में पुनः रख लिया जाता है तो देय शेष वेतन के रूप में से रु. 44,74,441/- (रु. 2,20,386/-) का एक आकस्मिक देयता बन जाती है।

(ग) बैंक गारन्टी

क्रम संख्या 1(क) के 1 में रु. 4.95 लाख की बैंक गारन्टी शामिल है जोकि मैसर्स ऑक्टोगन एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि. के भुगतान से सम्बन्धित है। पार्टी द्वारा दूरदर्शन का भुगतान विफल हो जाने की वजह से हुई और दूरदर्शन ने गारन्टी भुना ली। निगम द्वारा दूरदर्शन की कार्रवाई के खिलाफ निषेधादेश लाया गया। अन्तः निषेधादेश वास्तविक रूप से 11.09.2004 को दिए गये जोकि न्यायालय के अगले आदेशों तक बढ़ाये गये। तथापि रु. 4.95 लाख रुपये की आकस्मिक देयता है। अतः बैंक गारन्टी के सम्बन्ध में कुल आकस्मिक देयता रु. 23,15,000/- (रु. 18,20,000/-) की है।

(घ) निगम को आयकर अधिनियम की धारा 44 एबी के अनुसार विलम्ब से लेखा परीक्षित होने और टेक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के जुर्माने से सम्बन्धित आयकर की धारा 271 बी के अन्तर्गत एक नोटिस मिली है। निगम को अपने कर सलाहकार द्वारा राय प्राप्त हुई है कि यह मामला अभी आवेदन स्तर पर है अतः इस सम्बन्ध में कोई आकस्मिक देयता का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

- वैधानिक लेखा परीक्षकों की अर्हता को ध्यान में रखते हुए रु. 5,19,37,965/- का अतिरिक्त प्रावधान से निगम की चालू वर्ष की हानि रु. 10,31,71,586/- हो जाती है जो 31 मार्च 2005 को संचित हानि रु. 16,06,68,780/- हो गई है। परिणामस्वरूप निगम की नेट वर्थ पूरी तरह तिरोभूत हो रही है।
- निगम के शुद्ध मूल्य में उपर्युक्त क्षरण होने के बावजूद तथा उत्तरवर्ती वर्ष में भी फ्री कमर्शियल टाइम (एफ. सी. टी.) जैसी बड़ी गतिविधियों के बन्द हो जाने की वजह से आय में भारी गिरावट आ गई। प्रबन्धन को लगता है कि निगम एक गमनशील प्रतिष्ठान और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह निगम के पुनर्जीवन के लिए पूँजी में 15 करोड़ की अभिवृद्धि के लिए बेहतर वित्तीय अनुशासन और उद्योग में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करते हुए कार्य योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निगम ने लेखों को गमनशील प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया है।
- फ्री कमर्शियल टाइम के रु. 5,19,37,965/- के देनदारों की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। निगम को इस राशि की देय अवधि में वसूल होने की आशा है। यानि निगम ने उपर्युक्त राशि का प्रावधान कर लिया होता तो निगम की शुद्ध हानि रु. 10,31,71,586/- (जैसाकि राशि रु. 5,12,33,621/- के सामने रिपोर्ट की गई है) और तुलन पत्र में लाभ एवं हानि खाते का डैबिट बैलेन्स रु. 16,06,68,780/- (जैसाकि सामने रिपोर्ट की गई राशि है रु. 10,87,30,815/- होता।
- विविध देनदार, ऋण एवं अग्रिम, अन्य अग्रिम अमानतें और चालू देयताएं पुष्टिकरण एवं समन्वयों के उपरान्त आयी राशि यदि कोई हों, के अधीन हैं और उनका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव होगा तो उसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता।
- 31 मार्च, 2005 को कुल देयताएं रु. 110.85 लाख (रु. 107.85 लाख) की हैं। जोकि जीवन बीमा निगम के पत्र के आधार पर है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले वर्षों से सम्बन्धित एकुअल मूल्यांकन पर देयता तय की गई है।
- निगम द्वारा दूरदर्शन को देय रु. 3,086.86 लाख पंच निगम के अधीन है। पंच निर्णय के विचाराधीन परिणाम का प्रभाव निगम के लाभ/हानि पर होगा तो उसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता।
- निगम ने दूरदर्शन की ओर से फिल्मों के सहनिर्माण में 31.03.2005 तक रु. 171.02 लाख रुपये का निवेश किया है जिसपर पंच निर्णय में विचार नहीं किया गया जो कि दूरदर्शन के पुष्टिकरण के अधीन है। तथापि सहनिर्माण की आय में से समय-समय पर वसूली हुई है।
- (क) मैसर्स मोडर्न एजेंसी से पुरानी बकाया रु. 320.74 लाख की राशि में रु. 121.02 लाख रुपये एकमुश्त भुगतान के रूप में पूर्ण चुकता हो गये, वास्तविक बकाया राशि तथा एकमुश्त भुगतान में चुकता हुई राशि के अन्तर को लेखा पुस्तकों में रखे गये रु. 115.03 लाख रुपये के प्रावधान में संभाजित किया गया तथा शेष रु. 846.69 लाख रुपये को पूर्व वर्ष समंजन खाते में डैबिट कर दिया गया।

B. NOTES ON ACCOUNTS:**1. (a) Contingent liabilities not provided for:**

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Particulars	2004-05	2003-04
1.	Bank Guarantees	23,15,000	18,20,000
2.	Claims from the Sales Tax Authorities for film distribution business for which appeal has been filed.	15,43,928	14,07,401
3.	Legal cases against the Corporation.	2,27,52,000	48,00,000
4.	Claim against Corporation for increase in rental for the premises not acknowledge as debts pending Civil Court pending.	17,33,750	15,75,608
	Total	2,83,44,678	96,03,009

(b) Balance salary payable to Sr. General Manager under suspension:

Sr. General Manager is suspended for charge of mis-representation of facts and impounding of documents of the Corporation. He is paid 50% of his salary during the period of suspension. There is a contingent liability in respect of balance salary payable of **Rs. 4,47,441/-** (Rs. 2,20,386/-) to him, in case, he is re-instated in services on exoneration of all charges leveled against him.

(c) Bank Guarantee:

Sr. No.1 of 1(a) also includes Bank Guarantee of **Rs. 4.95 lacs** given to Doordarshan (DD) towards payment performance of 'Octogan Advertising & Marketing Pvt. Ltd.'. Since the party defaulted in payment, DD invoked the guarantee. The Corporation brought an injection against DD's action. The order of interim injunction originally granted on 11.09.2004 is extended till further orders of the Court. However, there is a contingent liability to the extent of **Rs. 4.95 lacs**. Thus, total contingent liability in respect of Bank Guarantee is **Rs. 23,15,000/-** (Rs. 18,20,000/-).

(d) The Corporation has received a notice u/s. 271B of the Income Tax Act imposing penalty for delay in getting the accounts audited and furnishing of tax audit report u/s. 44AB of the Income Tax Act. The Corporation has received a opinion from its tax consultant stating that the matter is under application stage and there is no need to provide any contingent liability in this respect.

- Considering qualification of Statutory Auditors regarding additional provision of **Rs. 5,19,37,965**, the total loss incurred by Corporation works out to **Rs. 10,31,71,586** during the current year and has accumulated losses of **Rs. 16,06,68,780/-** as at 31.03.05 resulting in net worth of the Corporation being completely eroded.
- Notwithstanding the said erosion in net worth of the Corporation and significant fall in the revenue of the subsequent year due to discontinuing of major line of activity i.e. Free Commercial Time (FCT), the Management is of the view that the Corporation continues to be a 'Going Concern' considering the fact that it is in the process of revival of Corporation by infusion of capital of **Rs. 15.00 crores**, submission of detailed proposal for Action Plan, better financial discipline and using opportunities available in the Industry. Keeping this view in mind, the Corporation has prepared the accounts on 'Going Concern' basis.
- Provision for debtors amounting to **Rs. 5,19,37,965/-** Free Commercial Time (FCT) is not made in the accounts since the Corporation is hopeful of recovering the dues in due course of time. Had the Corporation made provision of aforesaid amount of debtors, the Net loss of the Corporation would have been **Rs. 10,31,71,586/-** (as against the reported figure of **Rs. 5,12,33,621/-**) and debit balance of Profit and Loss Account in the Balance Sheet would have been **Rs. 16,06,68,780/-** (as against the reported figure of **Rs. 10,87,30,815/-**).
- Sundry Debtors, Loans & Advances, Other Advances, Deposits and Current Liabilities are subject to confirmation and consequential adjustments, if any, arising out of reconciliation. The impact, if any, on the financial statements, of the same is not ascertainable.
- Total Liability of **Rs. 110.85 lacs** as on 31.03.05 (Rs. 107.85 lacs) is on the basis of letters from LIC stating liability due on actuarial valuation done related to earlier years.
- Dues of **Rs. 3,086.86 lacs** payable to Doordarshan by the Corporation is subject to arbitration. Pending the results of such arbitration, the effect of such dues on Profit/Loss of the Corporation is not quantifiable.
- Investments of **Rs. 171.02 lacs** as on 31.03.05 in co-production films made by the Corporation on behalf of Doordarshan is not considered in arbitration and is subject to confirmation by DD. However, the same is recouped from time-to-time out of co-production income.
 - The Old outstanding of **Rs. 320.74 lacs** due from M/s. Modern Advertising Agency was settled under one time settlement (OTS) to the extent of **Rs. 121.02 lacs** as full and final settlement. Difference between the actual outstanding and the amounts settled under OTS is adjusted against provision of **Rs. 115.03 lacs** already made in the books of account and balance of **Rs. 84.69 lacs** is debited to 'Prior Period Adjustment'.

(ख) जी. टेलीफिल्म्स लि. से प्राप्य **रु. 62.63 लाख** को 'विजन इंडिया' को देयों में समायोजित किया गया। 'विजन इंडिया' द्वारा प्रस्तुत एग्रीमेन्ट मूल रूप में नहीं है तथा उस पर कौमन सील है और निगम के साथ हुए एग्रीमेन्ट में 3 लिखित भुगतान के क्लॉज की तुलना में अन्तर प्रतीत होता है।

9. दिल्ली सरकार ने निगम से प्राप्य **रु. 44.00 लाख** रुपये की मांग फिल्म 'चकाचक' की वित्तीय शर्तों में परिवर्तन की वजह से की है।

10. निदेशक मंडल की राय में चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम कम से कम बताये गयी राशि के बराबर होना चाहिए जो कि सामान्य व्यवसाय की स्थिति में यदि वसूल हो जाये तो।

11. (क) अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:

वर्ष के दौरान अशोध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए **रु. 2,75,46,633/-** के विविध देनदारों का प्रावधान किया गया है।

(ख) अधिक प्रावधान वापस:

वर्ष के दौरान **रु. 19.87 लाख** (जिनमें फिल्म ऋणों के **रु. 9.92 लाख** तथा सिनेमागृह ऋणों के **रु. 2.30 लाख** तथा अन्य **7.65 लाख रुपये** का प्रावधान शामिल है) का प्रावधान वापस किया गया।

12. ऋण एवं अग्रिमों:

(क) ऋण एवं अग्रिमों के **रु. 1,378.30 लाख** में अर्जित ब्याज तथा बकाया के **रु. 112.88 लाख** तथा अग्रिम कर अदायगी के **रु. 469.23 लाख** जो कि पिछले कई कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित है - शामिल है।

(ख) फिल्म निर्माताओं को दिए गये ऋणों के **रु. 218.41 लाख** में **रु. 48.11 लाख** तक सुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिनके नेगेटिव निगम के पास है और निगम को आशा है कि उनकी वसूली हो जायेगी। शेष अनरक्षित ऋण की राशि **रु. 170.30 लाख** रु. है जिनका प्रावधान किया जा चुका है।

13. वर्ष 1991 में **रु. 30 लाख** की अमानतों को आवासीय भवन के समक्ष किसी तीसरी पार्टी से निक्षेपित है। पार्टीने अमानतों को नहीं लौटाया है, तथा निक्षेपों को भी भुनाया है, अतः इनके प्रावधान की सिफारिश की जाती है, निगम ने दोषी पार्टी के खिलाफ पंचनिर्णय में अमानतों की वसूली के लिए केस दायर किया है।

14. फिल्म 'गांधी' के वितरण आय कलेन्डर वर्ष के आधार पर एग्रीमेन्ट के अनुसार नियुक्त एजेंटों से प्राप्त विवरणों के आधार पर लेखों में लिया जाता है।

15. चूँकि निगम में परिसम्पत्ति मूवमेन्ट रजिस्टर कुछ लोकेशनों में नहीं रखा जाता अतः परिसम्पत्ति के उपयोग से प्राप्त आय को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

16. लघु औद्योगिक उपक्रमों की 30 दिन से ज्यादा की बकाया राशि ब्याज सहित **शून्य (शून्य)** है।

17. सम्बन्धित पार्टी का प्रकटीकरण:

सम्बन्धित पार्टी के लेन देन के बारे में मानक लेखा 18 की अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

निदेशक का नाम	लेन देन का प्रकार	राशि रुपये लाख में
श्री डी. मुखोपाध्याय - प्रबन्ध निदेशक	पारिश्रमिक	4.77
श्री पी. परमेश्वरन - निदेशक (वित्त) (01.04.04 to 31.05.04)	पारिश्रमिक	0.71
श्री पी. सत्यनारायणन् - निदेशक (वित्त) (17.11.04 to 31.03.05)	पारिश्रमिक	1.95

- (b) Receivables from Zee Telefilms Ltd. amounting **Rs. 62.63 lacs** are adjusted against payables to 'Vision India' as per agreement produced by 'Vision India' which is neither original nor under common seal and contains different clause of payment as compared to the clause of payment mentioned in agreement with Corporation.
9. Delhi Govt. has claimed an amount of **Rs. 44.00 lacs** from the Corporation due to change in finance arrangement in respect of film 'Chakachak' of Sai Paranjape.
10. In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been atleast equal to the amount stated, if realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts reasonably necessary.
11. (a) **Provision for Bad and Doubtful Debts**
During the year provision for bad and doubtful debts of **Rs. 2,75,46,633/-** has been made towards sundry debtors.
- (b) **Excess provision written back**
During the year excess provision written back amounts to **Rs. 19.87 lacs** (includes provision towards Film Loan **Rs. 9.92 lacs**, Theatre Loan **Rs. 2.30 lacs** and Other Provision of **Rs. 7.65 lacs**).
12. **Loans and Advances**
- (a) Loans and Advances of **Rs. 1,378.30 lacs** include interest accrued and outstanding of **Rs. 112.88 lacs** and advance tax paid amounting to **Rs. 469.23 lacs** pertaining to various assessment years.
- (b) Loans to film producers of **Rs. 218.41 lacs** are classified as secured to the extent of **Rs. 48.11 lacs** as Management expects to realize in future from exploitation of negatives on which the Corporation has a charge. The balance of uncovered loans of **Rs. 170.30 lacs** are treated as "Unsecured" and provision is made for the same in the accounts.
13. Deposits of **Rs. 30.00 lacs** placed with third parties in 1991 are secured against residential premises. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated, the provision for the same is recommended. The Corporation has filed an arbitration against the defaulting parties for recovery of deposits.
14. The profits and distribution fees from the film "Gandhi" are accounted on Calendar year basis based on the statement of accounts received from the agents appointed under the agreement.
15. Since Corporation is not maintaining Asset Movement Register in few location, revenue generated from utilization of assets is not ensured.
16. Amounts due to small-scale industrial undertakings together with interest due for more than 30 days is **Rs. NIL** (Rs. NIL).
17. **Related Party Disclosures:**
Information regarding Related Party Disclosure as required by AS-18 is given below:

Key Management Personnel

Name of the Director	Nature of Transaction	Amount (Rs. in lakhs)
Shri D. Mukhopadhyay – Managing Director	Remuneration	4.77
Shri P. P. Parameswaran – Director (Finance) (01.04.04 to 31.05.04)	Remuneration	0.71
Shri. P. Sathyanarayanan – Director (Finance) (17.11.04 to 31.03.05)	Remuneration	1.95

18. खण्डीय सूचना:

क. व्यापारिक खण्ड:

निगम ने तीन व्यापारिक खण्डों को माना है जैसे फिल्म वित्त, फिल्मों का वितरण और सेवा परियोजनाएं जो निम्नानुसार हैं:

(रुपये लाखों में)

विवरण	वित्तीय गतिविधि	फिल्म वितरण	सेवा परियोजना	कुल	वित्तीय गतिविधि	फिल्म वितरण	सेवा परियोजना	कुल
	2004-05				2003-04			
खण्ड आय								
विदेशी बिक्री	25.36	1682.44	297.49	2005.29	19.68	2919.08	518.02	3456.78
अंतर खण्ड बिक्री	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल आय	25.36	1682.44	297.49	2005.29	19.68	2919.08	518.02	3456.78
घटाएं : खण्ड आय	1.01	1345.64	285.76	1632.41	41.55	3112.53	325.68	3479.76
परिचालन लाभ/(हानि)	24.35	336.80	11.73	372.88	(21.87)	(193.45)	192.34	(22.98)
घटाएं : अविभाजित कारपोरेट व्यय	—	—	—	938.76	—	—	—	1121.62
शेष	—	—	—	(565.88)	—	—	—	(1144.60)
घटाएं : ब्याज आय	—	—	—	24.84	—	—	—	14.76
ब्याज आय	—	—	—	45.83	—	—	—	61.46
शेष	—	—	—	(544.89)	—	—	—	(1097.90)
घटाएं : आय कर	—	—	—	—	—	—	—	—
सामान्य गतिविधियों से लाभ	—	—	—	158.16	—	—	—	172.41
शुद्ध लाभ/(हानि)	—	—	—	(386.73)				(925.49)
अन्य जानकारी								
खण्ड परिसम्पत्तियाँ	95.13	3075.51	827.93	3998.57	99.22	3616.02	958.44	4673.68
अविभाजित कारपोरेट परिसम्पत्तियाँ	—	—	—	1735.36	—	—	—	2369.27
कुल परिसम्पत्तियाँ	—	—	—	5733.93	—	—	—	7042.95
खण्ड देयताएँ	14.22	4006.05	55.49	4075.76	30.82	4784.42	54.81	4870.05
अविभाजित कारपोरेट देयताएँ	—	—	—	1201.63	—	—	—	1115.21
कुल देयताएँ	—	—	—	5277.39	—	—	—	5985.26
पूँजी व्यय	—	—	7.44	7.44	—	—	121.83	121.83
अन्य	—	—	—	13.67	—	—	—	11.54
कुल पूँजी व्यय	—	—	—	21.11	—	—	—	133.37
मूल्य हास	—	—	148.25	148.25	—	—	150.87	150.87
अन्य	—	—	—	19.79	—	—	—	22.37
कुल मूल्य हास	—	—	—	168.04	—	—	—	173.24
मूल्य हास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	—	—	—	—	—	—	—	—

18. Segment Reporting:**i. Business Segment:**

The Corporation has identified three business segments viz. Film Finance, Distribution of Films & Service Projects which are as under:

(Rs. in lakhs)

Particulars	Financial Activity	Film Distribution	Service Project	Total	Financial Activity	Film Distribution	Service Project	Total
	2004-05				2003-04			
Segment Revenue								
External Sales	25.36	1682.44	297.49	2005.29	19.68	2919.08	518.02	3456.78
Inter Segment Sales	—	—	—	—	—	—	—	—
Total Revenue	25.36	1682.44	297.49	2005.29	19.68	2919.08	518.02	3456.78
Less: Segment Expenses	1.01	1345.64	285.76	1632.41	41.55	3112.53	325.68	3479.76
Operating Profit/(Loss)	24.35	336.80	11.73	372.88	(21.87)	(193.45)	192.34	(22.98)
Less: Unallocated Corporate Expenses	—	—	—	938.76	—	—	—	1121.62
Balance	—	—	—	(565.88)				(1144.60)
Less: Interest Expenses	—	—	—	24.84	—	—	—	14.76
Interest Income	—	—	—	45.83	—	—	—	61.46
Balance	—	—	—	(544.89)	—	—	—	(1097.90)
Less: Income Taxes	—	—	—	—	—	—	—	—
Profit from Ordinary Activity	—	—	—	158.16	—	—	—	172.41
Net Profit (Loss)	—	—	—	(386.73)				(925.49)
Other Information								
Segment Assets	95.13	3075.51	827.93	3998.57	99.22	3616.02	958.44	4673.68
Unallocated Corporate Assets	—	—	—	1735.36	—	—	—	2369.27
Total Assets	—	—	—	5733.93	—	—	—	7042.95
Segment Liabilities	14.22	4006.05	55.49	4075.76	30.82	4784.42	54.81	4870.05
Unallocated Corporate Liabilities	—	—	—	1201.63	—	—	—	1115.21
Total Liabilities	—	—	—	5277.39	—	—	—	5985.26
Capital Expenditure	—	—	7.44	7.44	—	—	121.83	121.83
Others	—	—	—	13.67	—	—	—	11.54
Total Capital Expenditure	—	—	—	21.11	—	—	—	133.37
Depreciation —	—	148.25	148.25	—	—	150.87	150.87	
Others	—	—	—	19.79	—	—	—	22.37
Total Depreciation	—	—	—	168.04	—	—	—	173.24
Non Cash Expenses other than Depreciation	—	—	—	—	—	—	—	—

ख. खण्ड आय और व्यय:

खण्डीय आय और व्ययों में सम्बन्धित खण्ड में सभी प्रत्यक्ष आरोप्य शामिल हैं। प्रशासनिक व्यय, कार्मिक लागत और स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास किसी विशेष खण्ड के साथ जोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए इन्हें अविभाजनीय समझा गया है।

ग. खण्डीय परिसम्पत्तियाँ और दायित्व:

खण्डीय परिसम्पत्तियाँ और दायित्व में सम्बन्धित खण्ड में सभी प्रत्यक्ष आरोप्य शामिल हैं, सभी अन्य परिसम्पत्तियाँ और दायित्व किसी विशेष खण्ड के लिए आरोप्य नहीं है उनका अविभक्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अन्तर्गत समूह बनाया गया है।

घ. भौगोलिक खण्ड:

चूँकि व्यापार का खण्डीकरण भौगोलिक सम्भव नहीं है। प्रबन्धन की दृष्टि में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टे ऑफ इंडिया द्वारा जारी खण्ड रिपोर्ट पर लेखा मानक 17 के सन्दर्भ में निगम में भौगोलिक खण्डीकरण नहीं है।

19. आय पर करों के लिए लेखा:

पर्याप्त भावी कर योग्य आय की वास्तविक सुनिश्चिता के अभाव में चार्टर्ड एकाउन्टे ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-22) 'आय पर करों के लिए लेखा' के अनुसार शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ नहीं मानी गई हैं।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/(देयताओं) के प्रमुख तत्व 31 मार्च, 2005 को समय अन्तरों की वजह से हुए जो निम्नानुसार है।

(राशि रुपयों में)

आस्थगित परिसम्पत्तियाँ/(देयताएं)	(31 मार्च, 2005)
▪ स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर	(87,81,593)
▪ स्वैच्छिक निवृत्ति योजना के भुगतान	1,88,808
▪ अशोध ऋणों के लिये प्रावधान	6,90,52,995
▪ हानियाँ आगे लाई गई	1,12,05,618
▪ मूल्य हास में अन्तर	(43,25,385)
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	6,73,40,443

20. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ:

(राशि रुपयों में)

विवरण	01.04.04 को प्रा. शेष	वर्ष 2004-05 के दौरान लगाये गये	परिशोधित/ वसूली	31.03.05 को अंतिम शेष
सेवा निवृत्ति योजना के व्यय	—	79,08,095	15,81,619	63,26,476
सहनिर्माण में निवेश	1,71,02,269	—	—	1,71,02,269
सहनिर्माण से सम्बन्धित वितरण व्यय	84,05,362	75,60,358	83,17,904	76,47,816
अन्य	22,35,206	1,07,486	2,01,784	21,40,908
कुल:	2,77,42,837	1,55,75,939	1,01,01,307	3,32,17,469

21. निदेशकों के मानदेय का विवरण:

(राशि रुपयों में)

विवरण	2004-05	2003-04
प्रबन्ध निदेशक का मानदेय	4,76,591	4,14,519
भविष्य निधि और परिवार पेंशन के लिए अंशदान	—	—
निदेशक वित्त का मानदेय	2,41,263	3,65,273
भविष्य निधि और परिवार पेंशन के लिए अंशदान	24,054	43,399

ii. Segment Revenues and Expenses:

The segmental revenues and expenses include all directly attributable to the respective segment. Administrative expenses, personnel costs and depreciation on fixed assets cannot be identified with any particular segment and are considered as unallocable.

iii. Segment Assets and Liabilities:

The segmental assets and liabilities include all directly attributable to the respective segment. All other assets and liabilities not attributable to any particular segment have been grouped under unallocated Assets and Liabilities.

iv. Geographical Segment:

Since the segregation of the business geographically is not possible, in view of the Management, the Corporation does not have geographical segmentation in the context of the Accounting Standard 17 on segment reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

19. Accounting for Taxes on Income

In the absence of virtual certainty of sufficient future taxable income, net deferred tax assets have not been recognized by way of prudence in accordance with Accounting Standard (AS-22) – “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

The major components of Deferred Tax Assets/(Liabilities) arising on account of timing differences as at 31st March, 2005 are as follows:

(Amount in Rs.)

Deferred Assets/(Liabilities)	(As at 31 st March, 2005)
▪ Carrying differences of fixed assets	(87,81,593)
▪ Payment of Voluntary Retirement Scheme	1,88,808
▪ Provision for doubtful debts	6,90,52,995
▪ Carry Forward of Losses	1,12,05,618
▪ Differences in Depreciation	(43,25,385)
Net Deferred Tax Assets	6,73,40,443

20. Intangible Assets:

(Amount in Rs.)

Particulars	Op. Bal. as on 01.04.04	Additions during the year	Amortised/ Recouped	Closing balance as on 31.03.05
VRS Expenditure	—	79,08,095	15,81,619	63,26,476
Investment in Co-production	1,71,02,269	—	—	1,71,02,269
Exploitation expenditure in respect of co-production	84,05,362	75,60,358	83,17,904	76,47,816
Others	22,35,206	1,07,486	2,01,784	21,40,908
Total:	2,77,42,837	1,55,75,939	1,01,01,307	3,32,17,469

21. Particulars of Directors Remuneration

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Managing Directors Remuneration	4,76,591	4,14,519
Contribution of PF and FPF	—	—
Remuneration of Director Finance	2,41,263	3,65,273
Contribution of PF and FPF	24,054	43,399

22. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के भाग दो के पैराग्राफ 3, 4ग और 4घ के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सूचना:

(i) कर्मचारियों पर खर्च संपूर्ण मानदेय का प्राप्ति पर

(क) वर्ष में रु. 24,00,000/- से कम नहीं, यदि वर्ष भर सेवारत थे:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
कर्मचारियों की संख्या	Nil	Nil
वेतन तथा बोनस	Nil	Nil

(ख) प्रतिमाह रु. 20,00,000/- से कम नहीं, यदि वर्ष के एक भाग के दौरान सेवारत थे:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
कर्मचारियों की संख्या	Nil	Nil
वेतन तथा बोनस	Nil	Nil

(ii) कच्चा माल उपभोग किया गया:

कच्चे माल, कल पुर्जे और संघटकों के उपभोग का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05		2003-04	
	राशि रुपये में	प्रतिशत (%)	राशि रुपये में	प्रतिशत (%)
उपभोग्य कच्चा माल	—	—	—	—
आयातित	—	—	—	—
देशी	—	—	—	—
कल पुर्जे एवं संघटक	—	—	—	—
आयातित	—	—	5,23,209	79
देशी	3,34,091	100	1,37,738	21
कुल	3,34,091	100	6,60,947	100

(iii) विदेशी मुद्रा में प्राप्तियाँ:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
पोत पर्यन्त मूल्य के आधार पर आकलित माल का निर्यात:		
रॉयल्टी (स्वकीय फिल्मों)	3,56,399	3,77,640
रॉयल्टी (सहनिर्मित फिल्मों)	32,19,706	4,25,683
रॉयल्टी (पट्टे पर दी गई फिल्मों)	3,43,837	13,64,470
अन्य (माल की बिक्री तथा अन्य चार्ज)	10,95,720	—
सहनिर्मित फिल्मों के मामले में अधिशेष	49,87,547	47,32,374
कुल	1,00,03,209	69,00,167

22. Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3, 4C and 4D of the part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent applicable:

(i) Expenditure on employees in the receipt of aggregate remuneration of:

(a) Not less than **Rs. 24, 00,000/-** for the year, if employed through out the year:

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
No. of employees	Nil	Nil
Salaries & Bonus	Nil	Nil

(b) Not less than **Rs. 2,00,000/-** per month, if employed for a part of the year:

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
No. of employees	Nil	Nil
Salaries & Bonus	Nil	Nil

(ii) Raw Materials consumed:

Details of raw materials, spare parts and components consumed.

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05		2003-04	
	Value in Rs.	Percentage (%)	Value in Rs.	Percentage (%)
Raw Materials	—	—	—	—
Imported	—	—	—	—
Indegeneous	—	—	—	—
Spare Parts and Components	—	—	—	—
Imported	—	—	5,23,209	79
Indigenous	3,34,091	100	1,37,738	21
Total	3,34,091	100	6,60,947	100

(iii) Earnings in Foreign Exchange

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Export on goods calculated on FOB basis:		
Royalty (own films)	3,56,399	3,77,640
Royalty (Co-Produce films)	32,19,706	4,25,683
Royalty (leased films)	3,43,837	13,64,470
Others (Sale of Materials and other charges)	10,95,720	—
Surplus in case of co-production films	49,87,547	47,32,374
Total	1,00,03,209	69,00,167

(iv) आयात के लागत - बीमा - वहन

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
घटक एवं पुर्जे	—	—
पूँजीगत माल	2,67,444	32,20,477
विदेशी फिल्मों/प्रिन्टों के प्रदर्शनाधिकार	—	3,45,663
कुल	2,67,444	35,66,140

(v) विदेशी मुद्रा में व्यय:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
विदेशी यात्रा/प्रतिभागिता व्यय	30,51,334	60,65,775

(vi) लेखा परीक्षकों को भुगतान:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
लेखा परीक्षा शुल्क	1,37,750	1,08,000
टैक्स लेखा परीक्षा शुल्क	55,100	54,000
अन्य सेवाएं	—	—
लेखा परीक्षकों का जेब खर्च	1,10,924	1,68,700

23. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची छह के भाग चार के अधीन सूचना:

तुलन पत्र सारांश और निगम के सामान्य व्यवसाय का विवरण

(i) कंपनियों के पंजीकरण विवरण:

पंजीकरण क्रमांक	7750
स्टेट कोड	11
तुलन पत्र तारीख	31.03.2005

(ii) वर्ष के दौरान पूँजी वृद्धि:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
पब्लिक इश्यू	शून्य	शून्य
राइट इश्यू	शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	शून्य	शून्य
निजी अमानतें	शून्य	शून्य

(iii) निधियों के संग्रहण एवं विनियोजन की स्थिति:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
कुल देयताएं	15,43,84,389	16,32,65,743
कुल परिसम्पत्तियाँ	15,43,84,389	16,32,65,743

(iv) **CIF value of imports:**

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Components and Spare Parts	—	—
Capital Goods	2,67,444	32,20,477
Exploitation rights in foreign film prints	—	3,45,663
Total	2,67,444	35,66,140

(v) **Expenditure in Foreign Currency:**

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Foreign Tours/Participation Expenses	30,51,334	60,65,775

(vi) **Payment to Auditors:**

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Audit Fees	1,37,750	1,08,000
Tax Audit Fees	55,100	54,000
Other Services	—	—
Auditors out of pocket expenses	1,10,924	1,68,700

23. Information under Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956.**BALANCE SHEET ABSTRACT AND CORPORATION'S GENERAL BUSINESS PROFILE**(i) **Companies Registration Details:**

Registration No.	7750
State Code No.	11
Balance Sheet Date	31.03.2005

(ii) **Capital raised during the year:**

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Public Issue	NIL	NIL
Rights Issue	NIL	NIL
Bonus Issue	NIL	NIL
Private Placement	NIL	NIL

(iii) **Position of Mobilisation and Deployment of Funds**

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Total Liabilities	15,43,84,389	16,32,65,743
Total Assets	15,43,84,389	16,32,65,743

23. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची छह के भाग चार के अधीन सूचना:

तुलन पत्र सारांश और निगम के सामान्य व्यवसाय का विवरण (क्रमशः)

निधियों के स्रोत:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
प्रदत्त पूँजी	13,99,98,500	13,99,98,500
संचय और अधिशेष	2,32,736	2,32,736
प्रतिभूत ऋण	1,41,53,153	2,30,34,507
अप्रतिभूत ऋण	—	—
कुल	15,43,84,389	16,32,65,743

निधियों के उपयोग:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
सकल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	7,27,18,827	8,74,11,334
निवेश	—	—
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ	(3,33,91,729)	1,83,57,215
लाभ एवं हानि लेख	10,87,30,815	5,74,97,194
आस्थगित राजस्व व्यय	63,26,476	—
कुल	15,43,84,389	16,32,65,743

(iv) निगम का निष्पादन:

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05	2003-04
टर्न ओवर/आय	22,09,28,319	36,90,65,243
कुल व्यय	25,96,01,872	46,16,14,262
कर पूर्व (हानि)/लाभ	(3,86,73,553)	(9,25,49,019)
कर पश्चात् (हानि)/लाभ	(38,67,35,53)	(9,25,49,019)
प्रति शेयर आय	—	—
लाभांश प्रतिशत	—	—

(v) निगम के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक रूप में):

क्र.	मद कूट	सेवा विवरण
(क)	लागू नहीं	फिल्मों का वितरण
(ख)	लागू नहीं	उपकरण भाड़ा और तकनीकी सेवाएँ
(ग)	लागू नहीं	फिल्म निर्माण और वित्त पोषण

24. जहाँ भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ें पुनर्गठित-पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

23. Information under Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956.**BALANCE SHEET ABSTRACT AND CORPORATION'S GENERAL BUSINESS PROFILE (Contd.)****Sources of Funds:**

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Paid-up Capital	13,99,98,500	13,99,98,500
Reserves & Surplus	2,32,736	2,32,736
Secured Loans	1,41,53,153	2,30,34,507
Unsecured Loans	—	—
Total	15,43,84,389	16,32,65,743

Application of Funds:

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Net Fixed Assets	7,27,18,827	8,74,11,334
Investments	—	—
Net Current Assets	(3,33,91,729)	1,83,57,215
Profit & Loss Account	10,87,30,815	5,74,97,194
Deferred Revenue Expenditure	63,26,476	—
Total	15,43,84,389	16,32,65,743

(iv) Performance of the Corporation:

(Amount in Rs.)

Particulars	2004-05	2003-04
Turn-over/Income	22,09,28,319	36,90,65,243
Total Expenditure	25,96,01,872	46,16,14,262
Profit (Loss) Before Tax	(3,86,73,553)	(9,25,49,019)
Profit (Loss) After Tax	(38,67,35,53)	(9,25,49,019)
Earning per share	—	—
Dividend Rate %	—	—

(v) Generic Names of three principal products/services of the Corporation (as per monetary terms):

Sr. No.	Item Code No.	Service Description
(a)	N.A.	Distribution of Films
(b)	N.A.	Equipment Rental and Technical Services
(c)	N.A.	Film Production and Financing

24. Previous years figures have been re-grouped/re-classified and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current years figures.

रोकड़ प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

विवरण	2004-05		2003-04	
I. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कराधान तथा असाधारण मदों के पहले शुद्ध लाभ समंजन हेतु				
समंजन के लिए		(386.73)		(925.49)
मूल्य ह्रास	171.25		177.91	
छुट्टियाँ भुनाने का प्रावधान	9.52		25.95	
ब्याज आय	(45.83)		(61.46)	
ब्याज व्यय	24.84		14.76	
		159.78		157.16
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले प्रचालन रोकड़ लाभ समंजन हेतु		(226.95)		(768.33)
समंजन के लिए				
सम्पत्ति सूची में वृद्धि	261.28		(71.03)	
विविध देनदार में वृद्धि		537.78		3146.50
ऋणों एवं अग्रिमों में कमी	392.99		281.33	
अन्य चालू सम्पत्तियों में कमी	(0.29)		3.50	
विविध लेनदारों तथा अन्य देयों में कमी		(545.30)		(2634.97)
		646.46		725.33
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़		419.51		(43)
आयकर भुगतान		(172.09)		—
असाधारण मदों के पहले रोकड़ प्रवाह		247.42		(43)
गतवर्ष समंजन	(125.60)		94.71	
स्थगित राजस्व खर्च		(63.26)		—
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (क)		58.56		51.71
II. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
स्थायी सम्पत्तियों की खरीद	(24.96)		(138.64)	
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री (शुद्ध)	0.63		0.60	
अतिरिक्त मूल्य ह्रास	—		12.16	
ब्याज प्राप्त	45.83		61.46	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ख)		21.50		(64.42)
III. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
दीर्घकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान/संवितरण	(88.82)		98.72	
ब्याज भुगतान	(24.84)		(14.76)	
लाभांश भुगतान	—		(72.63)	
लाभांश पर दिया गया कारपोरेट टैक्स		—		(9.30)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़ (ग)		(113.66)		2.03

CASH FLOW STATEMENT ANNEXED TO THE BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

(Rs. in lakhs)

Particulars	2004-05		2003-04	
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
NET PROFIT BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM				
Adjustments for		(386.73)		(925.49)
Depreciation	171.25		177.91	
Provision for leave encashment	9.52		25.95	
Interest Income	(45.83)		(61.46)	
Interest Expenses	24.84		14.76	
		159.78		157.16
OPERATING CASH PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES		(226.95)		(768.33)
Adjustments for				
Decrease in Inventories	261.28		(71.03)	
Decrease in Sundry Debtors	537.78		3146.50	
Decrease in Loans and Advances	392.99		281.33	
Increase in other current assets	(0.29)		3.50	
Decrease in sundry creditors and other payables	(545.30)		(2634.97)	
		646.46		725.33
CASH GENERATED FROM OPERATIONS		419.51		(43)
Income Tax paid		(172.09)		—
CASH FLOWS BEFORE EXTRAORDINARY ITEM		247.42		(43)
Prior year adjustment		(125.60)		94.71
Deferred Revenue Expenditure		(63.26)		—
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		58.56		51.71
II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Purchases of fixed assets	(24.96)		(138.64)	
Sale of fixed assets (net)	0.63		0.60	
Excess Depreciation	—		12.16	
Interest received	45.83		61.46	
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		21.50		(64.42)
III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Disbursement/Repayment of long term borrowings	(88.82)		98.72	
Interest paid	(24.84)		(14.76)	
Dividend paid	—		(72.63)	
Corporate tax on dividend paid	—		(9.30)	
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES (C)		(113.66)		2.03

रोकड़ प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए (क्रमशः)

(राशि रुपयों में)

विवरण	2004-05		2003-04	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क + ख + ग)		(33.60)		(10.68)
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष		400.62		411.30
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का अंतिम शेष		367.02		400.62

कृते यार्डी प्रभु एन्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार

(सुधन डी. यार्डी)
साझेदार
सदस्य क्रमांक 22887

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30.08.2005

निदेशक मंडल की ओर से

(पी. सत्यनारायणन्)
निदेशक (वित्त)

(उदय नायक)
प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26.08.2005

(सी. ए. बोध)
निदेशक

CASH FLOW STATEMENT ANNEXED TO THE BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005 (Contd.)

(Rs. in lakhs)

Particulars	2004-05		2003-04	
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A + B + C)		(33.60)		(10.68)
OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		400.62		411.30
CLOSING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		367.02		400.62

For YARDI PRABHU & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(SUDHAN D. YARDI)
PARTNER
M. NO. 22887

Place : Mumbai
Dated : 30.08.2005

For AND ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS

(P. SATHYANARAYANAN)
DIRECTOR — FINANCE

(UDAY NAYAK)
MANAGER (F & A)

Place : Mumbai
Dated : 26.08.2005

(C. A. BODH)
DIRECTOR

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 31 मार्च, 2005 का समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त रोकड़ प्रवाह विवरण की जाँच कर ली है। यह विवरण कम्पनी के आनुसंगिक लाभ एवं हानि खाते एवं तुलन पत्र पर हमारी 30 अगस्त, 2005 की कम्पनी के सदस्यों को दी गई रिपोर्ट के अनुरूप है।

हमारी तद् दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **यार्डी प्रभु एन्ड एसोसियेट्स,**
सनदी लेखाकार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 अगस्त, 2005

(सुधन डी. यार्डी)

साझेदार

सदस्य क्रमांक 22887

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

मुझे कहना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई टिप्पणियाँ या सम्पूरक नहीं हैं।

(सुषमा वी. दाबक)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा

पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 सितंबर, 2005

AUDITORS' CERTIFICATE

We have examined the above Cash Flow Statement of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2005. The statement is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Corporation covered by our report of 30th August, 2005 to the members of the Corporation.

PER OUR REPORT OF EVEN DATE
For **YARDI PRABHU & ASSOCIATES,**
CHARTERED ACCOUNTANTS

Place : Mumbai
Dated : 30th August, 2005

(SUDHAN D. YARDI)
PARTNER
M. NO. 22887

Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the Accounts of National Film Development Corporation Limited, Mumbai for the year ended 31st March, 2005.

C & AG's Comments

I have to state that the Comptroller & Auditor General of the India has no comments upon or supplements to the Auditors' Report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of National Film Development Corporation Limited, Mumbai for the year ended 31st March, 2005.

(SHUSHAMA V. DABAK)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-1, Mumbai

Place : Mumbai
Dated : 27th September, 2005

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा

टिप्पणी : कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन टिप्पणी को तथा वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समाहित अर्हताओं को ध्यान में लिए बिना लेखों की समीक्षा तैयार की गई है ।

1. वित्तीय स्थिति

कंपनी की गत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति को निम्नलिखित सारणी में मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

		(रु. लाख में)		
		2002-2003	2003-2004	2004-2005
देयताएँ:				
(क)	प्रदत्त पूँजी			
(1)	सरकार	1,399.99	1,399.99	1,399.99
(2)	अन्य	—	—	—
(ख)	संचय एवं अधिशेष			
(1)	मुक्त संचय (आधिक्य)	255.81	—	—
(2)	पूँजी संचय	0.22	0.22	0.22
(3)	विशेष संचय (निर्यात)	2.11	2.11	2.11
(ग)	ऋण			
(1)	भारत सरकार से	—	—	—
(2)	वित्तीय संस्थाओं से	—	—	—
(3)	विदेशी मुद्रा ऋण	—	—	—
(4)	नगद जमा/बैंक अधिविकर्ष	131.62	230.34	141.53
(5)	अन्य	—	—	—
(6)	उपार्जित और देय ब्याज	—	—	—
(घ)	(1) चालू देयताएँ और प्रावधान	8,676.22	5,877.41	5,166.54
	(2) उपदान के लिए प्रावधान	—	107.85	110.85
	कुल	10,465.97	7,617.92	6,821.24
परिसम्पत्ति:				
(च)	सकल ब्लॉक	2,662.08	2,553.09	2,574.20
(छ)	घटाएं : ह्रास	1,735.93	1,678.98	1,847.01
(ज)	निवल ब्लॉक	926.15	874.11	727.19
(झ)	पूँजीगत चालू कार्य	—	—	—
(ट)	निवेश	—	—	—
(ठ)	चालू परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम	9,539.82	6,168.84	4,943.48
(ड)	विविध-व्यय बढ़ते खाते में न डाला गया/लाभ एवं हानि लेखा	—	—	63.26
		—	574.97	1,087.31
	कुल	10,465.97	7,617.92	6,821.24
(ढ)	कार्यरत पूँजी [(ट-घ) (ट-)-ग(6)]	863.60	291.43	(223.06)
(ण)	नियोजित पूँजी (ज + ढ)	1,789.75	1,165.54	504.13
(त)	निवल मूल्य [क + ख (ट)-ड]	1,655.80	825.02	249.42
(थ)	प्रदत्त पूँजी का प्रति रुपया निवल मूल्य (रुपयों में)	1.18	0.59	0.18

REVIEW OF ACCOUNTS OF NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED BY COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005

Note: Review of accounts has been prepared without taking into account comments under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 and qualifications contained in the Statutory Auditor's Report.

1. FINANCIAL POSITION

The table below summarises the financial position of the Corporation under the broad headings for the last three years.

	(Rs. in lakhs)		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005
LIABILITIES:			
(a) Paid-up Capital			
(i) Government	1,399.99	1,399.99	1,399.99
(ii) Others	—	—	—
(b) Reserves & Surplus			
(i) Free Reserves (Surplus)	255.81	—	—
(ii) Capital Reserves	0.22	0.22	0.22
(iii) Special Reserve (Exports)	2.11	2.11	2.11
(c) Borrowings			
(i) Govt. of India	—	—	—
(ii) From Financial Institutions	—	—	—
(iii) Foreign Currency Loans	—	—	—
(iv) Cash Credit/Bank Overdraft	131.62	230.34	141.53
(v) Others	—	—	—
(vi) Interest accrued & due	—	—	—
(d) (i) Current Liabilities & Provision	8,676.22	5,877.41	5,166.54
(ii) Provision for Gratuity	—	107.85	110.85
Total	10,465.97	7,617.92	6,821.24
ASSETS:			
(e) Gross Block	2,662.08	2,553.09	2,574.20
(f) Less: Depreciation	1,735.93	1,678.98	1,847.01
(g) Net Block	926.15	874.11	727.19
(h) Capital Work-in-Progress	—	—	—
(i) Investments	—	—	—
(j) Current Assets, Loans & Advances	9,539.82	6,168.84	4,943.48
(k) Misc. Expenditure written off	—	—	63.26
Profit & Loss Account	—	574.97	1,087.31
Total	10,465.97	7,617.92	6,821.24
(l) Working Capital [j-d(i)-c(vi)]	863.60	291.43	(223.06)
(m) Capital Employed (g+l)	1,789.75	1,165.54	504.13
(n) Net Worth [a+b(i)-k]	1,655.80	825.02	249.42
(o) Net Worth per Rupees of paid-up capital (in Rupees)	1.18	0.59	0.18

2. कंपनी का गत तीन वर्षों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण:	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1. प्रचलनों से आय	7,541.62	3,456.78	2,040.28
2. अन्य आय	237.92	233.87	169.00
3. कुल	7,779.54	3,690.65	2,209.28
4. कुल व्यय	8,442.77	4,616.14	2,596.02
5. कर पूर्व लाभ/(हानि) और गत अवधि का समंजन	(663.23)	(925.49)	(386.74)
6. कर प्रावधान	—	—	—
7. कर पश्चात् लाभ/(हानि)	(663.23)	(925.49)	(386.74)
8. जोड़िए/(घटाएं) गत अवधि का समंजन	33.76	(87.74)	(188.29)
9. जोड़िए/(घटाएं) प्रावधान से प्राप्त	(28.60)	182.45	62.69
10. प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	—	—	—
11. सामान्य संचय को अंतरित	—	—	—
12. शेष	(658.07)	(830.78)	(512.34)

3. अनुपात विश्लेषण

कंपनी के पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर उसके वित्तीय स्वास्थ्य एवं गतिविधियों पर कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नानुसार हैं:

(प्रतिशतों में)

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
(क) तरलता अनुपात			
चालू अनुपात (चालू परिसम्पत्तियों का, चालू देयताओं और प्रावधानों तथा उपार्जित एवं देय ब्याज परंतु उपदान के लिए प्रावधान को छोड़कर) [(ट) (घ) (ट) + ग (6) घ (2)]	1.10	1.05	0.96
(ख) ऋण अंशपूँजी अनुपात [ग 1 से ग 5]	0.08:1	0.28:1	0.57:1
(ग) लाभदायिता अनुपात			
(क) कर पूर्व लाभ			
1. नियोजित पूँजी में [2 (5)/m]	—	—	—
2. निवल मूल्य में [2 (5)/n]	—	—	—
3. बिक्री में [2 (5)/2 (I)]	—	—	—
(ख) इक्विटी में कर पश्चात् लाभ [2 (7)/क]	—	—	—
(ग) प्रति शेयर प्राप्ति (रुपयों में)	—	—	—

4. स्रोतों एवं निधियों का उपयोग

आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से 664.42 लाख रुपये वर्ष के दौरान अर्जित किए गए तथा उपयोग में निम्नानुसार लाए गए:

(रु. लाख में)

निधियों के स्रोत	
स्थायी सम्पत्ति में कमी	146.93
कार्यशील पूँजी में कमी	517.49
कुल	664.42
निधियों का उपयोग	
स्थायी परिसम्पत्तियों में कमी	88.82
वर्ष में हानि	512.34
स्थगित राजस्व खर्चों में वृद्धि	63.26
कुल	664.42

2. The working results of the Corporation for the last three years are as under:

	(Rs. in lakhs)		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005
Particulars:			
(i) Income from Operations	7,541.62	3,456.78	2,040.28
(ii) Other Income	237.92	233.87	169.00
(iii) Total	7,779.54	3,690.65	2,209.28
(iv) Total Expenditure	8,442.77	4,616.14	2,596.02
(v) Profit/(Loss) before tax & Prior Period adjustments	(663.23)	(925.49)	(386.74)
(vi) Tax Provision	—	—	—
(vii) Profit/(Loss) after tax	(663.23)	(925.49)	(386.74)
(viii) Add/(Less) Prior Period adjustments	33.76	(87.74)	(188.29)
(ix) Add/(Less) Provision written back	(28.60)	182.45	62.69
(x) Proposed Dividend (including Dividend Tax)	—	—	—
(xi) Transfer to General Reserve	—	—	—
(xii) Balance	(658.07)	(830.78)	(512.34)

3. Ratio Analysis

Some important financial ratios on the financial health and working of the Corporation at the end of last three years are as under:

	(Percentage)		
	2002-2003	2003-2004	2004-2005
(A) Liquidity Ratio			
Current Ratio (Current Assets to Current Liabilities & Provisions and interest accrued and due but excluding provisions for Gratuity [i/d (i) + c (vi) – d (ii)])	1.10	1.05	0.96
(B) Debt Equity Ratio [c (i) to c (v)/n]	0.08:1	0.28:1	0.57:1
(C) Profitability Ratio			
(a) Profit before tax to			
(i) Capital Employed [2 (v)/m]	—	—	—
(ii) Net Worth [2 (v)/n]	—	—	—
(iii) Sales [2 (v)/2 (i) a]	—	—	—
(b) Profit after tax to equity [2 (vii)/a]	—	—	—
(c) Earnings per share (in Rupees)	—	—	—

4. Sources & Utilisation of Funds

Funds amounting to **Rs. 664.42 lakhs** from internal and external sources were generated and utilised during the year as given below:

	(Rs. in lakhs)
Sources of Funds	
Decrease in Net Fixed Assets	146.93
Decrease in Working Capital	517.49
Total	664.42
Application of Funds	
Decrease in Borrowings	88.82
Loss for the year	512.34
Increase in Differed Revenue Expenditure	63.26
Total	664.42

5. विविध देनदार

(क) 31 मार्च, 2005 को समाप्त विगत 3 वर्षों के विविध देनदारों बनाम बिक्रियों की स्थिति निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

31 मार्च को	विविध देनदार		कुल	बिक्री/आय	देनदारों का बिक्री पर प्रतिशत
	असंदिग्ध	संदिग्ध			
2003	6,786.29	664.42	7,450.71	7,541.62	98.79
2004	3,639.79	1,630.18	5,269.97	3,456.78	152.45
2005	3,102.01	1,833.15	4,935.16	2,040.28	241.89

(ख) विविध देनदारों का बिक्री/आय पर प्रतिशत वर्ष 2002-2003 के 98.79 से बढ़कर 2004-2005 में 241.89 हो गया है।

विविध देनदारों का 31-3-2005 को अवधिवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

देनदारों का बकाया:

छह महीने से कम के देनदार	503.94
छह महीने से तीन वर्ष के देनदार	2,103.37
तीन और अधिक वर्षों के देनदार	2,327.85
कुल	4,935.16

देनदारों का बकाया:

1. सरकार केन्द्र/राज्य/सरकारी विभाग पर	2,214.48
2. सरकारी उपक्रम/कंपनी पर	—
3. निजी और अन्य पर	2,720.68
कुल	4,935.16

(सुषमा वी. दाबक)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 सितंबर, 2005

5. Sundry Debtors

(A) The position of Sundry Debtors vis-a-vis sales for the three years ended 31st March, 2005 is given below:

(Rs. in lakhs)

As on 31 st March	Sundry Debtors Considered		Total	Sales/Income	Percentage of Debtors to Sales
	Good	Doubtful			
2003	6,786.29	664.42	7,450.71	7,541.62	98.79
2004	3,639.79	1,630.18	5,269.97	3,456.78	152.45
2005	3,102.01	1,833.15	4,935.16	2,040.28	241.89

(B) The percentage of Sundry Debtors to Sales/Income increased from 98.79 in 2002-2003 to 241.89 in 2004-2005.

The Age-wise Analysis of Sundry Debtors as on 31.03.2005 is as under:

(Rs. in lakhs)

Debtors Outstanding:

Debtors less than six months	503.94
Six months to three years	2,103.37
Three years and above	2,327.85
Total	4,935.16

Debtors Outstanding against:

1. Government – Central/State/Government Department	2,214.48
2. Public Sector Undertaking/Companies	—
3. Private and Others	2,720.68
Total	4,935.16

(SHUSHAMA V. DABAK)

Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Dated : 27th September, 2005

- Pathar Panchali
- Jaane Bhi Do Yarro
- Gandhi
- Adi Shankaracharya
- Mirch Masala
- Salaam Bombay
- Ek Doctor Ki Maut
- Rudaali
- Train To Pakistan
- Dr. Babasaheb Ambedkar
- Raghu Romeo
- Anand

m i l e s t o n e s



◀ Mirch Masala

Rudaali ▶



◀ Salaam Bombay



Gandhi ▶





राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (भारत सरकार का उद्यम)
'डिस्कवरी ऑफ इंडिया', नेहरू सेन्टर, डॉ. अँनी बेझंट रोड, मुंबई ४०० ०१८. भारत

NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Discovery of India, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018 INDIA